राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सार संग्रह

संजीव®

विगत 47 वर्षों से विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु पूर्णतः पाठ्यक्रम आधारित संशोधित पुस्तकें बाजार में उपलब्ध

आर्थिक समीक्षा 2021-22 एवं बजट 2022-23 के तथ्यों एवं आंकड़ों का समावेश

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से आज ही खरीदें।

संजीव वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड करें

राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सार संग्रह; राजस्थान के बजट 2022-23 का सार संग्रह; राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी (जनवरी 2021 से प्रत्येक माह)

प्रकाशक-संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सार संग्रह

- राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को तैयार एवं प्रकाशन का कार्य **आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय**, जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च की अवधि के लिए किया जाता है।
- आर्थिक समीक्षा के प्रकाशन का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति, विकास की प्रगति एवं मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना है।
- राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को प्रतिवर्ष बजट के साथ **राजस्थान विधानसभा** में प्रस्तुत किया जाता है।
- वर्ष 2021-22 के लिए प्रकाशित '**राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, 2021-22**' में **11 अध्याय** हैं, जो राजस्थान के सभी क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक, आधारभूत आदि की स्थिति का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय

राजस्थान में आर्थिक विकास के मुख्य सूचक
(आर्थिक समीक्षा : 2021-22)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹ करोड़	628020	642929	679564	660118	733017
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		832529	911674	999050	1013323	1196137
2.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	प्रतिशत	5.24	2.37	5.70	-2.86	11.04
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		9.46	9.51	9.58	1.43	18.04
3.	**सकल राज्य मूल्य वर्धन** स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान						
	(अ) कृषि	प्रतिशत	25.20	26.14	28.05	30.45	28.85
	(ब) उद्योग		32.52	27.65	26.09	25.26	26.34
	(स) सेवाएँ		42.28	46.21	45.86	44.29	44.81
4.	**सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित** बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान						
	(अ) कृषि	प्रतिशत	26.14	25.88	27.83	30.98	30.23
	(ब) उद्योग		29.23	26.26	24.54	23.42	24.67
	(स) सेवाएँ		44.63	47.86	47.63	45.60	45.10
5.	**शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹ करोड़	557618	568102	598550	583645	648142
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		748490	819340	898081	914262	1078903
6.	**प्रति व्यक्ति आय**						
	(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर	₹	73529	73929	76882	74009	81231
	(ब) प्रचलित मूल्यों पर		98698	106624	115356	115933	135218

संजीव प्रकाशन

क्रं.सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	**सकल स्थाई पूँजी निर्माण** प्रचलित मूल्यों पर@	₹ करोड़	236069	265091	283423	276473	–
8.	**कृषि उत्पादन सूचकांक*** (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)		170.17	183.07	202.56	204.97+	–
9.	**कुल खाद्यान्न उत्पादन***	लाख मी. टन	221.05	231.60	266.35	269.09+	225.20~
10.	**औद्योगिक उत्पादन सूचकांक** (आधार वर्ष 2011-12=100)		133.08	140.37	126.90	122.34@	131.33@@
11	**थोक मूल्य सूचकांक** (आधार वर्ष 1999-2000=100) प्रतिशत परिवर्तन		292.34 1.78	301.74 3.22	316.00 4.73	337.70 6.87	369.01$ 9.27
12.	**अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)**	मेगावाट	19553	21078	21176	21979	23321$
13.	**वाणिज्यिक बैंक साख** (सितम्बर, 2021 तक)	₹ करोड	219643	267523	315149	343406	375030

[टिप्पणी : वर्ष 2019-20 संशोधित अनुमान II, वर्ष 2020-21-संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2021-22-अग्रिम अनुमान (अ.)]

* कृषि वर्ष से संबंधित हैं।

\+ अन्तिम

~ अग्रिम

@ प्रावधानिक

@@ प्रावधानिक दिसम्बर, 2021 तक

$ दिसम्बर, 2021 तक

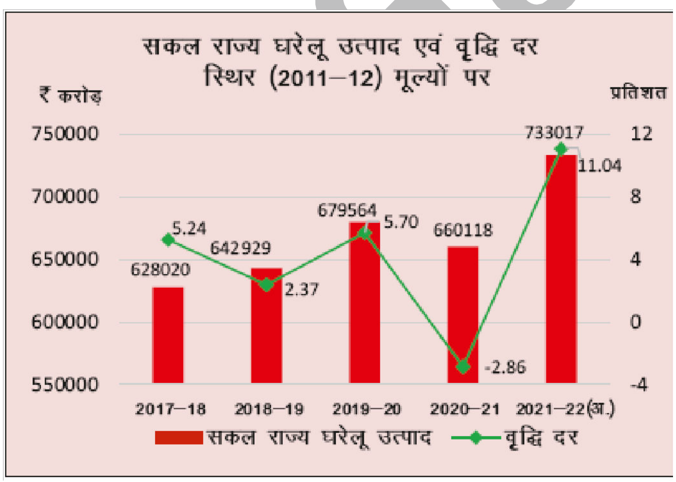

अ-अग्रिम अनुमान

चित्र-1

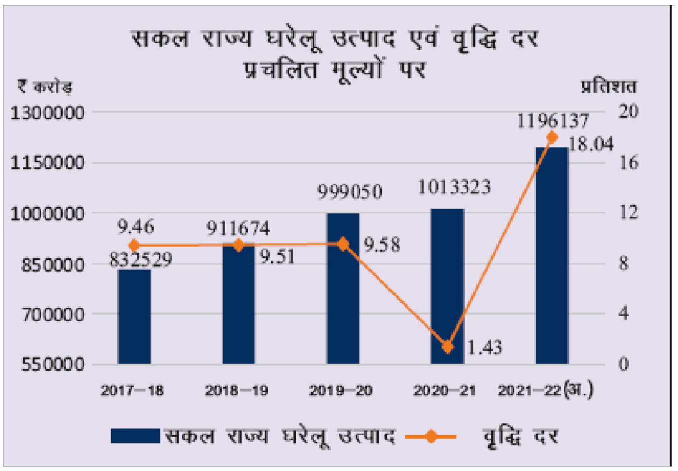

अ-अग्रिम अनुमान

चित्र-2

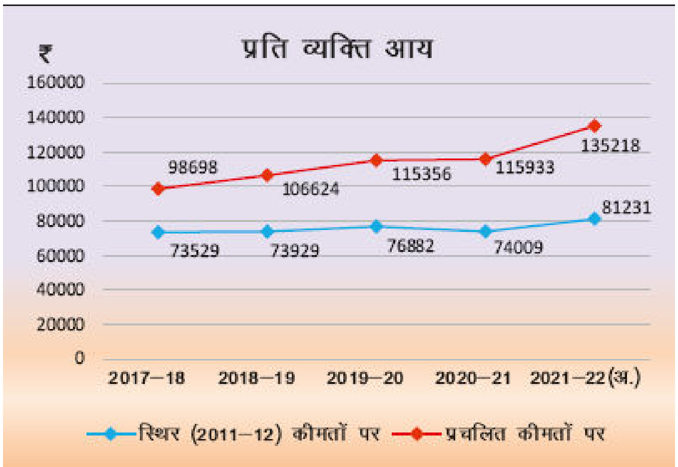

अ-अग्रिम अनुमान

चित्र-3

महत्त्वपूर्ण सारांश
(आर्थिक समीक्षा : 2021-22)

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान (2021-22)

अर्थव्यवस्था का आकार
प्रचलित मूल्यों पर
अखिल भारत : ₹ 232.15 लाख करोड़
राजस्थान : ₹ 11.96लाख करोड़

भारत की जी.डी.पी. में राज्य का प्रतिशत योगदान
प्रचलित मूल्यों पर
राजस्थान : 5.15

जीडीपी/जीएसडीपी विकास दर (%)
स्थिर (2011-12) मूल्यों पर
भारत : 92
राजस्थान : 11.04

प्रति व्यक्ति आय
प्रचलित मूल्यों पर
भारत : ₹ 1,50,326
राजस्थान : ₹ 1,35,218

सामाजिक संकेतक

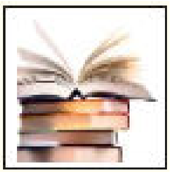

साक्षरता दर (%)
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 73.0
राजस्थान : 66.1

जन्म दर - 2019
(प्रति 1,000 जनसंख्या पर)
भारत : 19.7
राजस्थान : 23.7

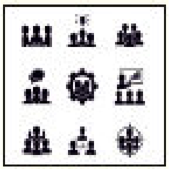

कार्य भागीदारी दर (%)
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 39.8
राजस्थान : 43.6

जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

भौगोलिक क्षेत्र (लाख वर्ग कि.मी.)
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 32.87
राजस्थान : 3.42

जनसंख्या
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 121.09 करोड़
राजस्थान : 6.85 करोड़

लिंगानुपात (जनगणना 2011)
(महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष)
भारत : 943|राजस्थान : 928

राजस्थान में भौतिक आधारभूत संरचना

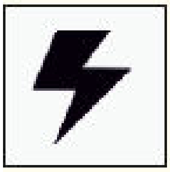

स्थापित विद्युत क्षमता (मेगावाट)
भारत : 3,93,389
राजस्थान : 23,321

सड़क घनत्व
(प्रति 100 वर्ग कि.मी.)
भारत : 161.71 कि.मी.
राजस्थान : 79.76

डाक और दूरसंचार (मार्च, 2021)
डाक घर-
भारत : 1,56,721 राजस्थान : 10,287
दूरसंचार ग्राहक (करोड़)
भारत :120.12
राजस्थान : 6.68

राजस्थान का सामान्य परिचय

- राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से **देश का सबसे बड़ा राज्य** है, जो कि भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसकी उत्तर व उत्तर-पूर्वी सीमाएँ **पंजाब** व **हरियाणा** से, पूर्वी व दक्षिणी-पूर्वी सीमाएँ **उत्तर प्रदेश** व **मध्यप्रदेश** से, दक्षिण-पश्चिम सीमा **गुजरात** राज्य से एवं पश्चिम व उत्तर-पश्चिम सीमा **पाकिस्तान** से जुड़ी हुई है।
- इसका भौगोलिक क्षेत्रफल **3.42 लाख वर्ग किमी.** है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का **10.41 प्रतिशत** है और भारत की कुल जनसंख्या का **5.66 प्रतिशत** (भारत की जनगणना, 2011) जनसंख्या यहाँ निवास करती है।
- राज्य की आकृति **समांतर अ-सम चतुर्भुज** आकार में है, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर **869 किमी.** व उत्तर से दक्षिण की ओर **826 किमी.** है।
- राज्य का सुदूर दक्षिणी भाग **कच्छ की खाड़ी** से लगभग 225 **किमी.** एवं **अरब सागर** से लगभग 400 **किमी.** दूर है।
- **जयपुर** इसकी राजधानी है, जो कि राज्य के **पूर्व-मध्य भाग** में स्थित है।
- भौगोलिक दृष्टि से राज्य को चार मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—**(1) पश्चिमी रेगिस्तान**–जिसमें बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानी व रेतीले मैदान हैं, **(2) अरावली पहाड़ियाँ**–जो कि दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से प्रारम्भ होकर उत्तर-पूर्व से दिल्ली में समाप्त हाती है, **(3) पूर्वी मैदान**–जलोढ़/कछारी मिट्टी से समृद्ध, **(4) दक्षिणी-पूर्वी पठार**–लावायुक्त काली मिट्टी से निर्मित उपजाऊ मैदान।
- राज्य में **विविध जलवायु परिस्थितियाँ** पायी जाती हैं जो कि **अर्द्ध-शुष्क** से लेकर **शुष्क** तक है।
- प्रशासनिक दृष्टि से यह राज्य 7 **सम्भाग** एवं **33 जिलों** में विभाजित है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

- **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** (जी.एस.डी.पी.) एवं **प्रति व्यक्ति आय** (पी.सी.आई.) राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति को प्रदर्शित करते हैं।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रायः **'राज्य आय'** के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समयावधि में राज्य के **आर्थिक निष्पादन** के आकलन का प्रमुख साधन है तथा यह **आर्थिक विकास** के स्तर में आए **परिवर्तन** व इसकी **दिशा** को इंगित करता है।
- **प्रति व्यक्ति आय,** शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर आकलित की जाती है जो लोगों के **जीवन स्तर एवं सम्पन्नता की सूचक है।**
- राज्य के **सकल घरेलू उत्पाद** के **अग्रिम अनुमानों** (2021-22) से पता चलता है कि :

(i) प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद–(जीएसडीपी)

- राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष **2021-22** के लिए **₹ 11.96 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि वर्ष **2020-21** के दौरान यह **₹ 10.13 लाख करोड़** था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में **18.04 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।
- वर्ष **2021-22** में **स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹ 7.33 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष **2020-21** के **₹ 6.60 लाख करोड़** से **11.04 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।

(ii) प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)–

- वर्ष **2021-22** के लिए **₹ 10.79 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि वर्ष **2020-21** के दौरान यह **₹ 9.14 लाख करोड़** था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में **18.01 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।
- वर्ष **2021-22** में **स्थिर (2011-12) कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹ 6.48 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष **2020-21** के **₹ 5.84 लाख करोड़** से **11.05 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।

(iii) प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय

- वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय **₹ 1,35,218** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष **2020-21** की **₹ 1,15,933** से **16.63 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाती है।
- **स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय** वर्ष **2021-22** में **₹ 81,231** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष **2020-21** की **₹ 74,009** से **9.76 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाता है।

थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- राज्य का **सामान्य थोक मूल्य सूचकांक** (आधार वर्ष 1999-2000=100) वर्ष **2020** के **330.86** से बढ़कर वर्ष **2021** में **363.23** हो गया है, जो कि गत वर्ष से **9.78 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाता है।
- गत वर्ष (2020) से **प्राथमिक वस्तु, ईंधन, शक्ति, प्रकाश** एवं **उपस्नेहक** व **विनिर्मित उत्पाद समूह** के सूचकांक में क्रमशः **14.10,11.91** तथा **4.91 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष **2021** में **10.67 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- वर्तमान में **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** माह **सितम्बर, 2020** से **आधार वर्ष 2016=100** पर जारी किये जा रहे हैं, जिसमें राज्य में **अजमेर केन्द्र** के स्थान पर **अलवर केन्द्र** को शामिल किया गया है।
- **औद्योगिक श्रमिकों** के **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** (आधार वर्ष 2016=100) में **दिसम्बर, 2021** में बढ़ती हुयी प्रवृत्ति देखी गयी है, जिसमें दिसम्बर, 2020 की तुलना में **अलवर केन्द्र** में **5.0 प्रतिशत, भीलवाड़ा केन्द्र** में **3.9 प्रतिशत** और **जयपुर केंद्र** में **2.6 प्रतिशत की वृद्धि** दर्ज की गई है।

बैंकिंग एवं वित्त

- राज्य में **सितंबर, 2021** में, कुल 7,791 बैंक कार्यालय/शाखाएँ हैं, जिनमें से 4,219 सार्वजनिक क्षेत्र, 1,575 क्षेत्रीय ग्रामीण, 1,560 निजी क्षेत्र, 9 विदेशी, 393 लघु वित्त और 35 भुगतान बैंक शाखाएँ/कार्यालय संचालित हैं।

- राजस्थान में **सितम्बर, 2021** में जमाओं में सितम्बर, 2020 की तुलना में **9.03 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है, जबकि इसी अवधि में **अखिल भारतीय स्तर** पर यह वृद्धि **10.08 प्रतिशत** रही है।
- **सितम्बर, 2021** में राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों का **साख-जमा अनुपात 75.43 प्रतिशत** रहा है एवं **अखिल भारतीय स्तर** पर यह अनुपात **70.01 प्रतिशत** रहा है, जबकि **सितम्बर, 2020** तक **राजस्थान** में यह अनुपात **75.41 प्रतिशत** तथा अखिल भारतीय स्तर पर **72.04 प्रतिशत** रहा था।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ

- राजस्थान में **मानसून**-2021 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य, अधिक या सामान्य वर्षा हुई है, जबकि **श्रीगंगानगर** और **सिरोही** जिलों में सामान्य से **कम वर्षा** दर्ज की गई।
- राज्य में **1 जून से 30 सितंबर, 2021** की अवधि में वास्तविक वर्षा **485.40 मिमी.** दर्ज की गई जो सामान्य वर्षा 414.50 मिमी. की तुलना में **17.10 प्रतिशत अधिक** रही है।
- **कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र** के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में स्थिर मूल्य के साथ-साथ प्रचलित मूल्य में भी निरन्तर वृद्धि हुई है।
- **स्थिर (2011-12) मूल्यों पर** यह वर्ष 2011-12 के **₹** 1.19 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष **2021-22** में **₹ 1.95 लाख करोड़** हो गया जो कि **5.04 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि** (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह वर्ष 2011-12 के **₹** 1.19 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष **2021-22** में **₹ 3.37 लाख करोड़** हो गया जो कि **10.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि** (सी.ए. जी.आर.) दर्शाता है।
- राज्य में वर्ष **2021-22** में **खाद्यान्न** का कुल उत्पादन **225.20 लाख मीट्रिक टन** होने का अनुमान है, जो गत वर्ष के 269.09 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में **16.31 प्रतिशत कम** है।
- राज्य का **कृषि विभाग** प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। **अनाज, दलहन** और **तिलहन** की उत्पादकता में 1997-98 से 2001-02 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष **2020-21** में क्रमश: **101.51 प्रतिशत, 46.61 प्रतिशत** और **77.71 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है।
- **कपास** की वर्ष 1997-98 से 2001-02 की औसत उत्पादकता **337 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर** थी जो 100.30 प्रतिशत बढ़कर वर्ष **2020-21** में **675 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर** हो गई है।

सिंचाई

- राज्य के **सीमित जल संसाधनों** के उपयोग, प्रबंधन द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में **वृहद्, मध्यम** और **लघु सिंचाई परियोजनाओं** का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- राज्य में कुल **39.03 लाख हैक्टेयर** क्षेत्र में **वृहद् मध्यम** एवं **लघु सिंचाई परियोजनाओं** का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।
- वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान **दिसम्बर, 2021** तक राज्य में **9,854 हैक्टेयर** अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

उद्योग–

- राजस्थान में **कोविड-19 महामारी** के बावजूद **उद्योग क्षेत्र** में वर्ष **2021-22** के लिए स्थिर (2011-12) कीमतों पर **15.37 प्रतिशत की वृद्धि** देखी गई।
- राज्य के **कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए)** में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान **2021-22** में प्रचलित कीमतों पर **24.67 प्रतिशत** है।
- **एमएसएमई** (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) राज्य अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण इकाई है क्योंकि राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार सृजन और उद्यमिता आधार के निर्माण में उनका योगदान काफी महत्त्वपूर्ण है।
- वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान **दिसम्बर, 2021** तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर **2,02,947 औद्योगिक इकाईयों/ उद्यमियों** द्वारा उद्यम पंजीकृत किया गया है।
- **निवेश संवर्द्धन ब्यूरो** (B.I.P.) राज्य में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है जो **घरेलू** और **विदेशी** दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए निवेश के अवसर उपलब्ध कराता है। वर्ष **2021** के दौरान राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति की आयोजित तीन बैठकों में **₹ 1,68,490 करोड़** के प्रस्तावित निवेश और **1,01,721** व्यक्तियों को रोजगार देने वाले **16 प्रस्तावों** की सिफारिश की गई है।

निर्यात–

- राज्य से निर्यात का महत्त्व न केवल देश के राजकोष के लिए **विदेशी मुद्रा अर्जित** करने में है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ जैसे—**बाजार के अवसरों का विस्तार, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्र, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन तकनीक में उन्नयन** तथा **अधिक रोजगार के अवसर** आदि के संदर्भ में भी है।
- **नीति आयोग** ने **निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)**-2020 जारी किया है, जिसमें **'लैंडलॉक्ड स्टेट्स'** (समुद्र तट वाले राज्यों के अलावा) की श्रेणी के तहत, 62.55 के सूचकांक के साथ राजस्थान एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है।
- वर्ष **2021-22** राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं के अन्तर्गत **इन्जीनियरिंग वस्तुएँ, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण** और **धातु** शामिल हैं जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में **50 प्रतिशत से अधिक** योगदान है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का कुल **निर्यात** मूल्य **₹ 52,764.31 करोड़** रहा है।

खान और खनिज

- देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान एक समृद्ध राज्य है। इसमें **82** विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। इनमें से **57** खनिजों का खनन वर्तमान में किया जा रहा है।

- देश में राजस्थान **सीसा और जस्ता अयस्क, सेलेनाइट** और **वोलेस्टोनाइट** का एकमात्र उत्पादक है। देश में **चांदी, कैल्साइट** और **जिप्सम** का लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान से होता है। राजस्थान देश में **बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर (गेरू), स्टेटाइट, फेलस्पार** और **फायर क्ले** का भी प्रमुख उत्पादक है। **संगमरमर, बलुआ पत्थर** और **ग्रेनाइट** जैसे आयामी और सजावटी पत्थरों के उत्पादन में भी इसका देश में प्रमुख स्थान है। राज्य भारत में **सीमेंट ग्रेड** और **स्टील ग्रेड चूना पत्थर** का अग्रणी उत्पादक है।
- **राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड** (आर.एस.एम.एम.एल.) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में **औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन** के कार्य से जुड़ा है।

तेल एवं गैस–

- राजस्थान, भारत में **कच्चे तेल (खनिज तेल/पेट्रोलियम)** का महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (30 एम.एम.टी.पी.ए.) में राज्य का योगदान लगभग **20 प्रतिशत (6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष)** है और बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है, के बाद **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
- राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र **4 पेट्रोलीफेरस बेसिन** के अन्तर्गत लगभग **1,50,000 वर्ग किमी. (14 जिले) क्षेत्र में फैला हुआ है।**
- वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021) के दौरान **₹ 2,903,14 करोड़ का राजस्व** अर्जित किया गया है।

श्रम और रोजगार–

- राज्य सरकार ने **30 जुलाई, 2021** की अधिसूचना के माध्यम से **अकुशल, अर्द्ध-कुशल, कुशल** और **उच्च कुशल** श्रमिकों के लिए **न्यूनतम मजदूरी** की दरों को संशोधित कर क्रमशः **₹ 252, ₹ 264, ₹ 276,** और **₹ 326 प्रति दिन** (8 घंटे के लिए) कर दिया है, जो **1 जुलाई, 2020 से प्रभावी है।**

ऊर्जा–

- **मार्च, 2021** तक राज्य में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता **21,979 मेगावॉट** थी।
- **मार्च, 2017** तक राज्य का कुल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) प्रसारण तंत्र **36,079 सर्किट किमी.** था, जो मार्च, **2021** तक बढ़कर **43,111 सर्किट किमी.** (पीपीपी के साथ) हो गया है।
- **मार्च, 2017** में राज्य में ऊर्जा उपलब्धता 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो **मार्च, 2021** तक बढ़कर **8,561 करोड़ यूनिट** हो गई। 2017-18 से 2020-21 तक तीन वर्ष की अवधि में कुल ऊर्जा उपलब्धता में **23.68 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है। इसी तरह कुल **शुद्ध ऊर्जा उपभोग** में भी **27.61 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- राज्य में शत-प्रतिशत **ग्रामीण विद्युतीकरण** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने **दिसंबर, 2021** तक **43,201 गाँवों** का विद्युतीकरण किया है।

सड़क एवं परिवहन

- राज्य में **परिवहन विभाग** के पास वर्ष **2020-21** के दौरान पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या में **9.92 लाख** और वर्ष 2021-22 में दिसंबर, 2021 तक 7.83 लाख थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में **21.06 प्रतिशत कम** है।
- राज्य में वर्ष **1949** में सड़कों की लम्बाई सिर्फ **13,553 किलोमीटर** थी, जो **मार्च, 2021** तक बढ़कर **2,72,959.28 किलोमीटर** हो गयी है।
- **31 मार्च, 2021** तक, राज्य में प्रति **100 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व **79.76 किलोमीटर** है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व **161.71 किमी.** प्रति 100 वर्ग किमी. है।

ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा** (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान (दिसंबर, 2021 तक) **₹ 7,965.05 करोड़** व्यय किया गया है तथा **2,962.73 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन** कर **63.26 लाख परिवारों को रोजगार** उपलब्ध कराया गया है।
- **प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 :** राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों के मौके पर समाधान के लिए **2 अक्टूबर, 2021** से 17 दिसम्बर, 2021 तक ''प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021'' अभियान चलाया।

शहरी विकास

- राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 16.28 प्रतिशत (1961) से बढ़कर **जनगणना-2011** में **24.87 प्रतिशत** (लगभग एक-चौथाई) हो गया है।
- राजस्थान में शहरी आबादी के मामलों में, **कोटा (60.31 प्रतिशत), जयपुर (52.40 प्रतिशत),** अजमेर (40.08 प्रतिशत), जोधपुर (34.30 प्रतिशत) और बीकानेर (33.86 प्रतिशत) सबसे अधिक शहरीकृत जिले हैं, जबकि **जालौर (8.30 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (8.27 प्रतिशत),** एवं बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत) सबसे कम शहरीकृत जिले हैं।
- **भारत की जनगणना**-2011 में शहरी आवासों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे अच्छा, रहने योग्य और जीर्ण-शीर्ण। जिसमें से **राजस्थान** में लगभग **68.9 प्रतिशत** आवास '**अच्छी**' स्थिति में हैं, जबकि **अखिल भारतीय** स्तर पर यह **68.4 प्रतिशत** है।
- राज्य में ''**प्रशासन शहरों के संग**'' अभियान **2 अक्टूबर, 2021** से **17 दिसम्बर, 2021** तक चलाया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार–

- नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुगम, पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराने के लिए **13 सितंबर, 2019** को **जन सूचना पोर्टल** का उद्घाटन किया गया।

पर्यटन–

- कलैण्डर वर्ष **2021** के दौरान, कुल **220.24 लाख** (219.89 लाख स्वदेशी एवं 0.35 लाख विदेशी) पर्यटकों ने **राजस्थान में भ्रमण** किया।

संजीव प्रकाशन

शिक्षा–

- **कोविड-19** के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य भर में **कक्षा 6 से 12 तक** के छात्रों के लिए **डिजिटल ऑनलाइन कक्षाएँ** आयोजित करके छात्रों को शिक्षा की सुविधा के लिए एक स्थिर, अनूठी व अभिनव पहल की गई है।
- राज्य में **36,264** राजकीय प्राथमिक विद्यालय, **19,532** राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं **15,333** प्रारम्भिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें डाईस रिपोर्ट, 2020-21 के अनुसार कुल **64.64 लाख विद्यार्थी** नामांकित हैं।
- **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 :** यह अधिनियम राज्य में दिनांक **1 अप्रैल,** 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए **25 प्रतिशत सीटें आरक्षित** हैं।
- राज्य में **बालिका शिक्षा** को बढ़ावा देने के लिए **316 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय** (केजीबीवी) कार्यरत हैं।
- वर्तमान में राज्य में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 15,449 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें से 474 माध्यमिक एवं 766 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए चल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में **कक्षा 1 से 12 तक** नामांकन **60.51 लाख** का है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र **7 महाविद्यालय थे** परन्तु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या **2,413** हो गई है। जिसमें से राज्य में **356** राजकीय महाविद्यालय, **16** राजकीय विधि महाविद्यालय, 2,033 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएँ तथा **6** निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं।
- शिक्षा विभाग द्वारा **1,479** शिक्षक-प्रशिक्षक महाविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में **02 केन्द्रीय/भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 52 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय** तथा **8 डीम्ड विश्वविद्यालय** संचालित हैं।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में कुल **87** (जिसमें आर्किटेक्चर शाखा वाला एक इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल) अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत हैं।
- राज्य में **31 दिसम्बर,** 2021 तक **26 मेडिकल कॉलेज** संचालित हैं, जिनमें से **6** राजकीय, **एक** झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, **07** राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, एक ई.एस.आई. कॉलेज, अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व **9** निजी क्षेत्र में हैं।
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत **15 नये मेडिकल कॉलेज** यथा अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाईमाधोपुर में खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष **2019-20** के दौरान प्राप्त हो चुकी है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष जोर देने के साथ-साथ सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से **सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति** के प्रमुख स्वास्थ्य सुधारों को लागू करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। राज्य सरकार संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियन्त्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में उपचारात्मक एवं निवारक सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
- राज्य में **दिसम्बर, 2021** तक **129** अस्पताल, **693** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), **2,170** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), **190** औषधालय, **118** मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, **51** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) और **14,423** उप केन्द्र कार्यरत हैं।
- **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई,** 2021 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना है। योजना के तहत **एनएफएसए, एसईसीसी के परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, संविदाकर्मियों** और **कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों** को **मुफ्त स्वास्थ्य बीमा** दिया गया है। शेष आबादी प्रति परिवार प्रति वर्ष **₹** 850 की एक छोटी राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती हैं जो कि प्रीमियम लागत का **50 प्रतिशत** है, शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन कर रही है।

जलापूर्ति–

- पेयजल आपूर्ति के सतही स्रोत की संभावनाओं का पता लगाने के लिए **जल संसाधन विभाग** के माध्यम से **3** पेयजल आपूर्ति योजनाओं यथा **ईसरदा बाँध (टोंक-सवाई माधोपुर), बत्तीसा नाला (सिरोही), परवन अकावद (झालावाड़)** को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- वर्ष **2024** तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए **जल जीवन मिशन** क्रियान्वित किया जा रहा है।

सतत् विकास गोल्स (एसडीजी)

- संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) महासभा ने **25 सितम्बर, 2015** को आयोजित अपने **70वें सत्र** में, **17 सतत् विकास गोल्स** (एस.डी.जी.) एवं 169 टार्गेट्स वाले '**ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड : द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट**' शीर्षक वाले दस्तावेज को अंगीकार किया।
- **एस.डी.जी.** विकास के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों के एकीकृत वैश्विक गोल्स् की एक व्यापक सूची है। सतत् विकास गोल्स सार्वभौमिक (सभी देशों-विकसित,

संजीव प्रकाशन

विकासशील और अविकसित के लिए), अन्त:संबंधी एवं अविभाज्य है तथा इसलिए सभी को साथ में लाने के लिए व्यापक एवं सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि **''कोई भी पीछे ना रहे''।**

- 17 एस.डी.जी. और संबद्ध **169** टार्गेट्स **1 जनवरी, 2016** से प्रभावित हुए हैं।
- **सितम्बर,** 2019 में आयोजित **एस.डी.जी. के शिखर सम्मेलन** में विश्व के नेताओं ने सतत् विकास गोल्स को अर्जित करने में **10 वर्ष** से भी कम समय शेष होने पर एस.डी.जी. के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने में किये जाने वाले प्रयासों में तेजी लाने वाले **'कार्रवाई दशक'** (Decade of Action) के रूप में घोषित किया है।
- राज्य में **सतत विकास गोल्स** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु **आयोजना विभाग** को नोडल विभाग घोषित किया गया है। **मुख्य सचिव**, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग समिति संस्थापित है।
- **जिला कलेक्टर** की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति** का गठन किया गया है।
- राजस्थान ने राज्य एवं जिला स्तर पर एस.डी.जी. की उपलब्धियों की प्रगति को मॉनिटर करने के लिये **राज्य संकेतक फ्रेमवर्क** और **जिला संकेतक फ्रेमवर्क** जारी किया है जिनमें क्रमश: **330** व **251 संकेतकों** को सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (सी.एम.आर.ई.टी.ए.सी.)

- प्रदेश के आर्थिक–वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए **थिंक-टैंक** के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक **7 मार्च, 2020** को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (CMRETAC)** का गठन किया गया। **डॉ. अरविन्द मायाराम,** आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री एवं पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार को परिषद में **उपाध्यक्ष** एवं **21** अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया गया है।
- परिषद की **प्रथम बैठक** दिनांक **15 अक्टूबर,** 2020 को हुई।

फ्लेगशिप योजनाएँ–

- राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को **स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम** घोषित करने का निर्णय लिया है:-

1. 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान–राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा **26 अक्टूबर, 2020 से** 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया जा रहा है।

2. निरोगी राजस्थान अभियान–राज्य के प्रत्येक **राजस्व ग्राम** एवं **नगरीय वार्ड** में एक **स्वास्थ्य मित्र** (महिला एवं पुरुष) का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया है। ये स्वास्थ्य मित्र जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना–वर्तमान में आवश्यक दवा सूची के अनुसार **711** औषधियाँ, **181** सर्जिकल्स एवं **77** सूचर्स सूचीबद्ध हैं, एवं **दिसम्बर, 2021** तक योजना के अन्तर्गत **₹ 760 करोड़** का व्यय किया गया एवं **8.58 करोड़ मरीज** लाभान्वित हुए हैं।

4. मुख्यमंत्री नि:शुल्क जाँच योजना–इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 40 करोड़ जाँचें की जाकर 17.37 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है।

5. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एम.सी.एस.बी.वाई.)–राजस्थान में **1 मई, 2021** को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एम.सी.एस.बी.वाई.) शुरू की है। योजना के अन्तर्गत कुल **1,597 रोग पैकेज** की पेशकश की गई है।

6. महात्मा गाँधी इंग्लिश मीडियम स्कूल–राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की **150वीं जयंती** के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, राज्य सरकार ने **सत्र 2019-20** से राजकीय विद्यालयों को महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। वर्ष **2021-22** में **बजट घोषणा** अनुसार **5,000 से अधिक आबादी** वाले गाँवों और कस्बों में आगामी **2 वर्षों** में **1,200 राजकीय विद्यालयों** को **महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालयों** (अंग्रेजी माध्यम) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी क्रम में **346** राजकीय विद्यालयों को सत्र **2021-22** में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार राज्य में कुल **551** (सत्र 2019-20 में 33, सत्र 2020-21 में 172, सत्र 2021-22 में 346) महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हो रहे हैं।

7. ₹ 1 प्रति किलो गेहूँ—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ए.ए.वाई. परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूँ और बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूँ **₹** 2 प्रति किलोग्राम के बजाय **₹** 1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है।

8. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना—सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर **₹ 31,000** तक उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं।

9. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना—मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिये आयोजित होने वाली **प्रतियोगी परीक्षाओं** यथा **यूपीएससी** द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, **आर.पी. एस. सी.** द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएँ, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी/कनिष्ठ सहायक व उक्त लेवल की अन्य परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इन्जीनियर/मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लैट, सीएएफसी, सीएसईईटी एवं सीएमएफएसी की परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने हेतु वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ की गई है।

संजीव प्रकाशन

10. मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना—वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत **55 वर्ष** या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं **58 वर्ष** या इससे अधिक आयु के पुरुषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में **₹ 750 प्रतिमाह** व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात् **₹ 1,000 प्रतिमाह** पाने के लिए पात्र हैं।

11. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना—इस योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके तहत आयु वर्ग के अनुसार **₹ 500** से **₹ 1500** तक मासिक पेंशन दी जाती है।

12. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना—इस योजना में, राज्य सरकार विभिन्न विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रति माह **₹ 750** से **₹ 1500** की पेंशन प्रदान कर रही है।

13. पालनहार योजना—यह योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरम्भ की गईथी, जिनके **माता-पिता दोनों** की मृत्यु हो गई है या **आजीवन कारावास** या मौत की सजायाप्ता या काट रहे हों या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो या पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास काट रही हो।

14. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019—इस नीति के अन्तर्गत कृषि-प्रसंस्करण और आधारभूत इकाइयाँ स्थापित करने हेतु कृषक एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का **50 प्रतिशत** या अधिकतम **₹ 100 लाख** तथा अन्य पात्र उद्यमियों को **25 प्रतिशत** या अधिकतम **₹ 50 लाख** तक पूँजीगत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

15. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई.)—इस योजना के अंतर्गत लघु उद्यमियों को **₹ 25 लाख** तक के ऋण पर **8 प्रतिशत**, **₹ 5 करोड़** तक के ऋण पर **6 प्रतिशत** तथा **₹ 10 करोड़** तक के ऋण पर **5 प्रतिशत** ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

16. राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम-2019—वित्तीय वर्ष **2021-22** (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान, कुल 2,766 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए जिन्हें तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से **सूक्ष्म (माइक्रो)** श्रेणी के 1,393, **लघु श्रेणी** के 811 और **मध्यम श्रेणी** के 562 प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

17. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019—राज्य में तेजी से सतत् और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 को **17 दिसंबर, 2019** से प्रभावी बनाया गया। इस योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नए निवेश के लिए **7 साल** के लिए एसजीएसटी की **100 प्रतिशत** अदायगी और बिजली कर, स्टाम्प शुल्क और मंडी शुल्क में **100 प्रतिशत** तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

18. जन सूचना पोर्टल—सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। इस प्रकार की पोर्टल पर वर्तमान में **115 विभागों** की **260 योजनाओं** की **562 जानकारी** उपलब्ध कराई जा रही है।

19. राजस्थान जन आधार योजना—भारत सरकार (यूआईडीएआई) के परिपत्र दिनांक **9 मई, 2020** के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के प्रमाण तथा संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत **31 दिसम्बर, 2021** तक कुल नामांकित परिवारों की संख्या **1.87 करोड़**, नामांकित व्यक्तियों की संख्या **7.15 करोड़**, कुल नकद व गैर-नकद लाभ के ट्रांजेक्शन **105.47 करोड़** तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण **₹ 44,997 करोड़** किये जा चुके हैं।

20. विधवा विवाह उपहार योजना—पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप **₹ 51,000** दिये जाने का प्रावधान है।

21. उज्ज्वला योजना—यह योजना **देह व्यापार में लिप्त** महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा उन्हें समाज में सम्मानूपर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनाकर इन्हें **समाज में पुनर्वास** कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है।

22. स्वाधार गृह योजना—भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-02 से **विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं** को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

23. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना—**कोविड-19** महामारी के कारण राज्य में **अनाथ हुए बच्चों**, **विधवा महिलाओं** एवं **उनके बच्चों** को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की है। 25 जून, 2021 से यह योजना सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

इस योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में **₹ 1 लाख** की एकमुश्त सहायता, **18 वर्ष** की आयु तक **₹ 2,500 प्रतिमाह** एवं **₹ 2,000 वार्षिक** देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर **₹ 5 लाख** की सहायता राशि देय है। साथ ही इन बच्चों को शैक्षणिक/अन्य सहायता अन्तर्गत **कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा** राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास/विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित **छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश**, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु **अम्बेडकर डी.बी.टी. योजना** का लाभ एवं **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना** के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत **विधवा महिला** को **₹ 1 लाख** की तत्कालिक सहायता के साथ ही **₹ 1,500 प्रतिमाह पेंशन** देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को **18 वर्ष** की आयु तक **₹ 1,000 प्रतिमाह** एवं **₹ 2,000 वार्षिक** देय हैं।

संजीव प्रकाशन

24. गाड़िया लोहार मकान निर्माण—गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा **ग्रामीण** क्षेत्र में **150 वर्गगज** एवं **शहरी** क्षेत्र में **50 वर्गगज** भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।

25. गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय योजना—गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष **2013-14** से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में **₹ 5,000** दिये जाने का प्रावधान है।

26. इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना—योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र के 5 लाख **स्ट्रीट वेण्डर्स** को ₹ 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजस्थान को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान

- **ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर** (टी.टी.एफ.), कोलकाता में, सेफ टूरिज्म डेस्टीनेशन अवॉर्ड।
- **ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर** (टी.टी.एफ.), अहमदाबाद में बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड।
- नई दिल्ली में **फोर फेयर एण्ड फेस्टीवल-7** (आई.टी.सी.टी.ए.)—बी2बी इन्टरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एवं कान्क्लेव बेस्ट अवार्ड।
- **इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट** (आई.आई.टी.एम.), बैंगलोर में डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन कैंम्पेन एवं बेस्ट प्रजेन्टेशन अवार्ड।
- **इंडिया टुडे टूरिज्म अवाइर्स, 2021**, नई दिल्ली में गरडिया महादेव (कोटा) के लिए बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड।
- **इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2021**, नई दिल्ली में डेजर्ट फेस्टिवल (जैसलमेर) के लिए बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड।
- **ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड**।
- 4 मई, 2021 को आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन को **वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड, लन्दन** की ओर से सम्मानित किया गया और वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता का प्रमाण-पत्र दिया गया।
- आवास क्षेत्र के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार **''स्कॉच अवार्ड 2021''** 13 नवम्बर, 2021 को गोल्ड कैटेगरी में हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया।
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, नई दिल्ली द्वारा मानसरोवर में एचआईजी के 104 फ्लैट्स (बी+एस+13) के अरावली अपार्टमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए **''रेसिडेंटेल यूनिट्स एण्ड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स'' की श्रेणी के तहत ट्रॉफी** दी गई है।
- **राज्य स्तरीय पुरस्कृत योजना**—अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, **3 दिसम्बर** को प्रतिवर्ष 2 विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो स्वैच्छिक संगठन, कार्यालयों, एजेन्सियों और अन्य में विशेष योग्यजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस योजना में पुरस्कार के रूप में **₹ 10,000 से ₹ 15,000** प्रति व्यक्ति/प्रति संस्थान तथा प्रशंसा पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किये जाते हैं।

राजस्थान की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

- **2011 की जनगणना** के अनुसार, राजस्थान की कुल जनसंख्या **6.85 करोड़** है।
- क्षेत्रवार वर्गीकरण की दृष्टि से, राजस्थान की शहरी आबादी **1.70 करोड़** है जो कि कुल आबादी की **24.9 प्रतिशत** है जबकि ग्रामीण आबादी **5.15 करोड** है जो कि कुल आबादी की **75.1 प्रतिशत** है।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

क्र.	सूचक/मद	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
2.	जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
3.	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
4.	जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
5.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.1
6.	अनुसूचित जाति (S.C.) की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
7.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
8.	लिंगानुपात	2011	महिलाएँ, प्रति हजार पुरुष	928	943
9.	बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	बालिकाएँ, प्रति हजार बालक	888	919
10.	साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73
11.	साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9

12.	साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
13.	कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
14.	अशोधित जन्म दर	2019*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	23.7	19.7
15.	अशोधित मृत्यु दर	2019*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	5.7	6
16.	शिशु मृत्यु दर	2019*	प्रति हजार जीवित जन्म	35	30
17.	मातृ मृत्यु अनुपात	2016-18*	प्रति लाख जीवित जन्म	164	113
18.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2014-18*	वर्ष	68.7	69.4

* एस.आर.एस.बुलेटिन : भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

2. वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य

- **राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार** वित्तीय वर्ष 2021-22 में **₹11.96 लाख करोड़** अनुमानित है। यह वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10.13 लाख करोड़ रहा था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में **18.04 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- वित्तीय वर्ष **2021-22** में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर ₹733017 करोड़ अनुमानित है, जिसमें वर्ष 2020-21 के ₹660118 लाख करोड़ से 11.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020-21 में इसमें 2.86 प्रतिशत की कमी आई थी।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर ₹11,96,137 करोड़ अनुमानित है जिसमें वर्ष 2020-21 के ₹10,13,323 करोड़ से 18.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020-21 में इसमें मात्र 1.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान स्थिर (वर्ष 2011-12) बुनियादी कीमतों पर कृषि क्षेत्र में ₹1,94,722 करोड़ (28.85 प्रतिशत), उद्योग क्षेत्र में ₹1,77,801 करोड़ (26.34 प्रतिशत) एवं सेवा क्षेत्र में ₹3,02,418 करोड़ (44.81 प्रतिशत) रहने का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में यह कृषि क्षेत्रों में ₹1,85,839 करोड़ (30.45 प्रतिशत), उद्योग क्षेत्र में ₹1,54,115 करोड़ (25.26 प्रतिशत) एवं सेवा क्षेत्र में ₹2,70,284 करोड़ (44.29 प्रतिशत) रहा था।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित बुनियादी कीमतों पर कृषि क्षेत्र में ₹5,03,180 करोड़ (30.23 प्रतिशत), उद्योग क्षेत्र में ₹2,75,163 करोड़ (24.67 प्रतिशत), और सेवा क्षेत्र में ₹3,37,221 करोड़ (45.10 प्रतिशत), अनुमानित है। 2020-21 में यह कृषि क्षेत्रों में ₹2,94,348 करोड़ (30.98 प्रतिशत), उद्योग क्षेत्र में ₹2,22,524 करोड़ (23.42 प्रतिशत) एवं सेवा क्षेत्र में ₹4,33,244 करोड़ (45.60 प्रतिशत) रहा था।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर ₹648142 करोड़ अनुमानित है जो 11.05 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है एवं प्रचलित कीमतों पर ₹1078903 करोड़ अनुमानित है। जो 18.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2020-21 संशोधित अनुमान में यह स्थिर (2011-12) कीमतों पर ₹583645 रहा जो 2.49 प्रतिशत की कमी दर्शाता है तथा प्रचलित कीमतों पर ₹914262 करोड़ रहा जो 1.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) कीमतों पर ₹81231 है जो गत वर्ष की तुलना में 9.76 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है एवं प्रचलित कीमतों पर ₹135218 अनुमानित है जो गत वर्ष की तुलना में 16.63 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। 2020-21 में यह स्थिर (2011-12) कीमतों पर ₹74009 तथा प्रचलित कीमतों पर ₹115933 रही थी।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 = 100) दिसम्बर, 2021 तक 131.33, विनिर्माण 133.91, खनन 123.71, विद्युत 135.77 अनुमानित है। 2020-21 में यह क्रमशः 122.34, विनिर्माण 122.95, खनन 119.43, विद्युत 126.10 रहा था।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 = 100) दिसम्बर, 2021 तक 369.01 रहा। यह 9.27 प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। 2020-21 में यह 337.70 रहा, इसमें 6.87 प्रतिशत परिवर्तन हुआ।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान में अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा) दिसम्बर, 2021 तक 23321 मेगावाट रही। 2020-21 में यह 21979 मेगावाट रही थी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)–

- यह सूचकांक प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव को सम्मिलित करता है, इसलिए सरकार **मुद्रास्फीति** के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** में अधिक ध्यान केन्द्रित करती है।
- सरकार द्वारा प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं–
  (1) **औद्योगिक श्रमिकों हेतु** (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.)
  (2) **कृषि श्रमिकों हेतु** (सी.पी.आई.-ए.एल.)
  (3) **ग्रामीण श्रमिकों हेतु** (सी.पी.आई.-आर.एल.)
  (4) **ग्रामीण एवं शहरी हेतु** (सी.पी.आई.-आर.एण्ड.यू.)
- इनमें प्रथम तीन प्रकार के सूचकांक **श्रम ब्यूरो, शिमला** तथा चतुर्थ सूचकांक **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.), नई दिल्ली** द्वारा तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

संजीव प्रकाशन

- **औद्योगिक मूल्य** के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष **2001=100** पर माह **अगस्त, 2020** तक जारी किए गये तथा वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह **सितम्बर, 2020** से आधार वर्ष **2016=100** पर जारी किए जा रहे हैं। जिसमें राजस्थान में अजमेर केन्द्र के स्थान पर **अलवर केन्द्र** को शामिल किया गया है।
- **औद्योगिक श्रमिकों** हेतु वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृंखला में **श्रम ब्यूरो शिमला** द्वारा माह **सितम्बर, 2020** से नवीन आधार वर्ष **2016 = 100** के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर **अलवर केन्द्र** को सम्मिलित किया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, **केंद्रीय शृंखला** के लिए CPI (IW) का निर्माण देश भर में **88** चयनित औद्योगिक रूप में विकसित केंद्रों से लिये गये समंकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें से तीन केंद्र **राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर)** में स्थित हैं।
- **दिसम्बर, 2021** के उपभोक्ता मूल्य के सामान्य सूचकांक में पिछले वर्ष के दिसम्बर, 2020 की तुलना में **अलवर** केंद्र पर **5.0 प्रतिशत**, **भीलवाड़ा** केंद्र पर **3.9 प्रतिशत**, **जयपुर केंद्र** पर 2.6 प्रतिशत तथा **अखिल भारत** स्तर पर **5.6 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई।
- **कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–ए.एल.)** (आधार वर्ष 1986–87 = 100)
- यह वर्ष 1986–87 = 100 पर तैयार किए जाते हैं। यह वित्तीय वर्ष **2021–22** अखिल भारतीय स्तर पर **दिसम्बर, 2021** तक में **खाद्य समूह** में **1018** तथा **सामान्य सूचकांक** 1077 रहा है तथा **राजस्थान** स्तर पर **खाद्य समूह** में **1073** और **सामान्य सूचकांक 1120** रहा है। यह वित्तीय वर्ष **2020–21** में अखिल भारतीय स्तर पर खाद्य समूह **994** तथा सामान्य सूचकांक **1042** रहा एवं राजस्थान स्तर पर खाद्य समूह 1038 तथा सामान्य सूचकांक **1087** रहा था।
- **सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त)** (आधार वर्ष 2012=100)
  - सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष **2021** (जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2021 तक का औसत) के लिए **अखिल भारतीय** स्तर पर ग्रामीण **161.43**, **शहरी 160.30** तथा **संयुक्त 160.91** रहा। वर्ष 2020 के लिए यह ग्रामीण 154.54, शहरी 152.27 एवं संयुक्त 153.47 रहा था।
  - सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष **2021** (जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2021 तक का औसत) के लिए राजस्थान स्तर पर ग्रामीण **157.43**, शहरी **157.30** एवं संयुक्त **157.40** रहा। वर्ष **2020** के लिए यह ग्रामीण **153.11**, शहरी **152.38** एवं संयुक्त **152.84** रहा था।

3. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में **कृषि एवं सहायक** क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र गतिविधियों में प्राथमिक रूप से **फसल**, **पशुधन**, **वानिकी** एवं **मत्स्य** सम्मिलित हैं।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में **स्थिर (2011–12) मूल्यों** पर **सकल राज्य मूल्य वर्धन** (जी.एस.वी.ए.) वर्ष **2017–18** में **₹1.49 लाख करोड़** से बढ़कर वर्ष **2021–22** में **₹1.95 लाख करोड़** हो गया जो कि **6.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि** (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है। जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह वर्ष **2017–18** में **₹ 2.06 लाख करोड़** से बढ़कर वर्ष **2021–22** में **₹ 3.37 लाख करोड़** हो गया है जो कि **13.12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि** (सी.ए.जी.आर) दर्शाता है।
- **राजस्थान के जी.एस.वी.ए. में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान**–राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष **2011–12** में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान **28.56 प्रतिशत** था, जो कि बढ़कर वर्ष **2021–22** में **30.23 प्रतिशत** हो गया।
- वर्ष **2021–22** में **फसल क्षेत्र** का अंश **45.94 प्रतिशत**, **पशुधन क्षेत्र** का अंश **46.25 प्रतिशत**, **वानिकी क्षेत्र** का अंश **7.44 प्रतिशत** और **मत्स्य क्षेत्र** का अंश **0.37 प्रतिशत** है।
- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष **2021–22** में वर्ष 2020–21 की तुलना में **4.78 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है। इसमें **फसल क्षेत्र** में **1.99 प्रतिशत** एवं **मत्स्य क्षेत्र** में **0.12 प्रतिशत की कमी** आयी है जबकि **वानिकी क्षेत्र** में **13.03 प्रतिशत** एवं **पशुधन** क्षेत्र में **13.27 प्रतिशत वृद्धि** होने का अनुमान है।
- वर्ष **2021–22** में **फसल क्षेत्र** का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन **₹1.55 लाख करोड़** तथा **पशुधन क्षेत्र** का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन **₹1.56 लाख करोड़** अनुमानित है।

भू-उपयोग–

- राजस्थान में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (भू–उपयोग) वर्ष **2019–20** में **342.90 लाख हैक्टेयर** है, इनमें से–
  - **8.08 प्रतिशत** क्षेत्रफल (27.70 लाख हैक्टेयर) **वानिकी** के अन्तर्गत,
  - **5.85 प्रतिशत** क्षेत्रफल (20.07 लाख हैक्टेयर) **कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि** के अन्तर्गत,
  - **6.92 प्रतिशत** क्षेत्रफल (23.72 लाख हैक्टेयर) **ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि** के अन्तर्गत,
  - **4.86 प्रतिशत** क्षेत्रफल (16.67 लाख हैक्टेयर) **स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि** के अन्तर्गत,
  - **8.08 प्रतिशत** क्षेत्रफल (0.29 लाख हैक्टेयर) **वृक्षों के झुण्ड तथा बाग** के अन्तर्गत,
  - **10.84 प्रतिशत** क्षेत्रफल (37.17 लाख हैक्टेयर) **बंजर भूमि** के अन्तर्गत,
  - **6.25 प्रतिशत** क्षेत्रफल (21.42 लाख हैक्टेयर) **अन्य चालू पड़त भूमि** के अन्तर्गत,
  - **4.54 प्रतिशत** क्षेत्रफल (15.55 लाख हैक्टेयर) **चालू पड़त** के अन्तर्गत एवं
  - **52.58 प्रतिशत** क्षेत्रफल (180.32 लाख हैक्टेयर) **शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल** के अन्तर्गत हैं।

प्रचलित जोत धारक–

- राजस्थान में **कृषि गणना, 2015-16** के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या **76.55 लाख** है जबकि वर्ष **2010-11** में यह संख्या **68.88 लाख** थी, इसमें वर्ष 2010-11 से **11.14 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है। इनमें श्रेणी वार जोत **सीमान्त** 40.12 प्रतिशत, **लघु** 21.90 प्रतिशत, **अर्द्ध-मध्यम** 18.50 प्रतिशत, **मध्यम** 14.79 प्रतिशत एवं **बड़े आकार** की कुल वर्गीकृत जोत 4.69 प्रतिशत है।
- वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि में सीमान्त, लघु, अर्द्ध-मध्यम एवं मध्यम आकार के वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है एवं बड़े आकार के वर्गों के जोतों में 11.14 प्रतिशत कमी हुई है।
- राज्य में कुल जोतों का क्षेत्रफल भी वर्ष **2010-11** की तुलना में वर्ष 2015-16 में 211.36 लाख हैक्टेयर से घटकर **208.73 लाख हैक्टेयर** हो गया है। अत: जोतों के क्षेत्रफल में **1.24 प्रतिशत की कमी** हुई है।
- कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि (कृषि) जोतों का **औसत आकार 2.73 हैक्टेयर** रहा है, जो वर्ष **2010-11** में **3.07 हैक्टेयर** था, जो **11.07 प्रतिशत की कमी** दर्शाता है।
- कृषि गणना 2015-16 के अनुसार **कुल महिला प्रचालित जोतों** की संख्या **7.75 लाख** है। वर्ष 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी। इसमें **41.94 प्रतिशत की वृद्धि** हुई।
- महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल भी वर्ष 2010-11 के 13.30 लाख हैक्टेयर से वर्ष 2015-16 में 16.55 लाख हैक्टेयर हो गया जिसमें **24.44 प्रतिशत की वृद्धि** दर्ज की गई है।

मानसून/वर्षा–

- राजस्थान में **मानसून** पहुँचने (आगमन) की सामान्य तिथि **15 जून** है, इस वर्ष मानसून 3 दिन देरी से **18 जून, 2021** को प्रारम्भ होकर **जुलाई, 2021** के प्रथम सप्ताह तक सम्पूर्ण राज्य में सक्रिय रहा।
- राजस्थान में 1 जून, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा **485.40 मिमी.** दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 414.50 मिमी. की तुलना में 17.10 प्रतिशत अधिक रही है।
- पूरे मानसून सत्र **2021** में **राजस्थान के श्रीगंगानगर** एवं **सिरोही** जिलों में **सामान्य से कम वर्षा** दर्ज की गई।

कृषि उत्पादन–

- राजस्थान में कृषि का उत्पादन मुख्यत: **मानसून पर निर्भर** करता है। राज्य में वर्ष **2021-22** में **खाद्यान्न** (अनाज:–खरीफ+रबी, दलहन:–खरीफ+रबी) का कुल उत्पादन **225.20 लाख मीट्रिक टन** होने का अनुमान है। जो कि वर्ष 2020-21 के 269.09 लाख मीट्रिक टन की तुलना में **16.31 प्रतिशत कम** है।
- राज्य में वर्ष **2021-22** में **तिलहन** (खरीफ+रबी) का कुल उत्पादन 92.04 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2020-21 के 79.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में **15.67 प्रतिशत अधिक** है।
- राज्य में वर्ष 2021-22 में **गन्ने** का उत्पादन **2.47 लाख मीट्रिक टन** होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2020-21 के 3.94 लाख मीट्रिक टन से **37.31 प्रतिशत कम** है।
- राज्य में वर्ष **2021-22** में **कपास (रूई)** का उत्पादन **23.31 लाख गाँठें** होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2020-21 के 32.07 लाख गाँठों से **27.32 प्रतिशत कम** है।
- वर्ष **2019-20** में राजस्थान देश में **बाजरा**, **सरसों**, **पोषक अनाज**, **कुल तिलहन**, **कुल दलहन**, **चना** एवं **ग्वार** फसलों के उत्पादन में **प्रथम स्थान**, मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय एवं सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है।

कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम–

- **मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना**–कृषकों को स्वयं के खेतों में अच्छी किस्मों के बीजों का निर्माण करना।
- **गैर संस्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन**–टिड्डी/कीटों से रोगों के उन्मूलन हेतु पौध संरक्षण रसायन हेतु अनुदान।
- **महिला प्रशिक्षण** (ग्राम पंचायत स्तर पर 30 महिला कृषकों के प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि ₹3,000 देने का प्रावधान)।
- **कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि** [(उच्च मा. (कृषि) ₹5,000 प्रति छात्रा, स्नातक (कृषि) ₹12,000 प्रति छात्रा, स्नातकोत्तर (कृषि) और पीएचडी. ₹15,000 प्रति छात्रा प्रतिवर्ष)]
- **कृषि प्रदर्शन**–''देखकर विश्वास करने'' के कृषि के सिद्धान्त पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।
- **बीज मिनिकिट**–फसल किस्मों को बढ़ावा देने हेतु बीज मिनिकिट कृषकों को टोकन राशि पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- **सूक्ष्म पोषक तत्त्व मिनिकिट**–मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्त्व उपलब्ध करवाये जाते हैं।
- **जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग**–वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में **'खेती में जान, तो सशक्त किसान'** की सोच पर आधारित जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर एक पायलट प्रोजेक्ट **टोंक**, **बांसवाड़ा** एवं **सिरोही** जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष **2020-21** में राज्य के **15 जिलों** में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** (N.F.S.M.)–इसमें केन्द्र एवं राज्य का अंश **60 : 40** है।
- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन** (N.M.A.E.T.)–इसमें केन्द्र एवं राज्य का अंश **60 : 40** है, इसमें 4 उपमिशन हैं–
  - कृषि विस्तार पर उप मिशन (एस.एम.ए.ई.)
  - बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एस.एम.एस.पी.)
  - कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.)
  - कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान (एन.ई.जी.पी.-ए.)

- **राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन** (N.M.S.A)—
  - वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (R.A.D.)
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ('स्वस्थ धरा, खेत हरा')
  - परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.)
  - कृषि वानिकी पर उप मिशन (S.M.A.F.)
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** (R.K.V.I./राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम)
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** (P.M.K.S.Y.)
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** (P.M.F.B.Y.)

उद्यानिकी–

- उद्यानिकी के अन्तर्गत राज्य में बजट प्रावधान वर्ष **2021-22** में राज्य आयोजना मद में स्वीकृत **₹571.40** करोड़ (केन्द्रीयांश सहित) के प्रावधान की तुलना में दिसम्बर, 2021 तक ₹199.98 करोड़ व्यय किए गए हैं।
- राज्य योजनान्तर्गत **1,415 हैक्टेयर क्षेत्र** में फूल बगीचों की स्थापना, 195 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण उपाय एवं सब्जियों के 1752 प्रदर्शन लगाए गए हैं।

उद्यानिकी विकास के लिए राज्य में निम्नलिखित योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं–

- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन** (N.H.M.)—24 जिलों में।
- **प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई** (P.M.K.S.Y.—M.I.)
- **सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना** (प्रधानमन्त्री 'कुसुम' योजना कम्पोनेंट 'बी')
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** (R.K.V.Y.)
- **फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाइजेशन एवं ऑटोमेशन योजना**

कृषि विपणन–

- कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषकों के लिए मण्डी कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ संचालित की जा रही हैं–
- **राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना** (घायल/अंग-भंग/मृत्यु हो जाने पर किसान को ₹ 5,000 से ₹ 2 लाख तक की सहायता)।
- **महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना, 2015** (इसके अन्तर्गत–प्रसूति योजना, विवाह के लिए सहायता, छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता, पितृत्व अवकाश आदि उपयोजनाएं संचालित की जा रही है)।

कृषि विपणन बोर्ड (1974 में स्थापित)–

राज्य में एक व्यापक नीति "**राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019**" दिनांक **17 दिसम्बर, 2019** को जारी की गयी।

- **कृषि कल्याण कोष–**"किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहले करते हुए ₹1000 करोड़ की राशि से दिनांक **16 दिसम्बर, 2019** को '**कृषक कल्याण कोष**' का गठन किया गया।
- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना–** इसे देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है।

राजस्थान में निर्यातोन्मुख मसाले मण्डियों का विकास

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम	जिन्सों का नाम
1.	मेड़ता सिटी (नागौर)	जीरा
2.	जोधपुर	मेथी, जीरा, मिर्च
3.	सुमेरपुर/रानी (पाली)	मेथी
4.	जयपुर/सीकर	मेथी, जीरा
5.	रामगंजमण्डी (कोटा)	धनियां
6.	प्रतापगढ़	दिलसीड, अजवाईन, खसखस बीज, लहसुन और मेथी
7.	आबूरोड़/रेवदर (सिरोही)	सौंफ

जल संसाधन–

- जल संसाधन विभाग के प्रयासों से राज्य में वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल **39.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा** उपलब्ध करवायी गयी है। वित्तीय वर्ष **2021-22** में दिसम्बर, 2021 तक **9854 हैक्टेयर क्षेत्र के अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन** किया गया है।
- वर्ष **2021-22** में **7 वृहद् नरियोजनाएँ** (नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (आर.डबल्यू.एस.आर.पी.डी.) एवं नवनेरा बांध (ई.आर.सी.पी.), ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं पीपलखूंट, **5 मध्यम परियोजनाएँ** (गरड़दा, ताकली, गागरिन, ल्हासी एवं हथियादेह) तथा **41 लघु सिंचाई परियोजनाओं** का कार्य प्रगति पर है। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत वृहद् एवं लघु परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, उनमें हैं–
- **राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना** (R.W.S.L.I.P.)
- **राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना** (R.W.S.R.P.D.)
- **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना**
- **इन्दिरा गाँधी फीडर** (पंजाब का भाग) **और सरहिन्द फीडर री-लाइनिंग परियोजना**
- **बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना** (D.R.I.P.)

उपनिवेशन–

- उपनिवेशन विभाग का प्रमुख कार्य **इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र** में भूमि आवंटन करना हैं।

सिंचित क्षेत्र विकास–

- यह विभाग राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पुनरुद्धार एवं सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कार्यरीत है।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी)–

- इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को **पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा** के रूप में जाना जाता है।
- इस परियोजना का उद्देश्य **पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि को सिंचित करना** और यहां निवासरत लोगों को **पेयजल** उपलब्ध करवाना है।

- इस परियोजना के उद्देश्यों में **सूखा प्रभावित**, **पर्यावरण** और **वन सुधार, रोजगार सृजन, पुनर्वास** भी सम्मिलित हैं।

भू-जल–

- राजस्थान में जहाँ पर अकाल की स्थिति रहती है वहाँ जल की कमी की समस्या के समाधान हेतु **भू-जल** महत्त्वपूर्ण है। इस हेतु **भू-जल विभाग** कार्य करता है।
- वर्ष **2021-22** में किसानों के लिए **88 नलकूप**, **61 हैण्डपम्प** एवं **22 पिजोमीटर** स्थापित किये गये।
- भू-जल को रोकने और भू-जल के बेहतर प्रबन्धन हेतु **7 राज्यों** हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से (50 : 50 प्रतिशत) **अटल भू-जल योजना 1 अप्रैल, 2020** से (2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए) लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से **गिरते भूजल स्तर को रोकना** एवं समुदाय के व्यवहार में **जल के प्रति संवेदनशीलता** लाना है।

जल ग्रहण विकास–

- राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है एवं जल की कमी से जूझ रहा है।
- इस हेतु जल के न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में **'राजीव गाँधी जल संचय योजना'** के प्रथम चरण का सूत्रपात **20 अगस्त, 2019** को राजस्थान के **33 जिलों** के **295 ब्लॉकों** के लगभग **4,000 गाँवों** में किया गया।
- इसके अन्तर्गत **दिसम्बर, 2021** तक 80,461 कार्य शुरू किए गए एवं लगभग 59,385 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

राज्य भण्डारण व्यवस्था–

- राजस्थान राज्य भण्डारण निगम की **31 जिलों** में औसत भण्डारण क्षमता **14.77 लाख मीट्रिक टन** है।
- वर्ष **2021-22** में माह दिसम्बर तक औसत उपयोगिता भण्डारण क्षमता **10.65 लाख मीट्रिक टन** रही जो कि कुल औसत उपयोगिता भण्डारण का **72.00 प्रतिशत** है।

पशुपालन–

- कृषि उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन राजस्थान की एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं रोजगारमूलक गतिविधि है।
- राजस्थान पशु सम्पदा में समृद्ध राज्य है। देश के सर्वोत्तम नस्ल के **गौवंश, भेड़, बकरी, घोड़ा व ऊँट** राज्य में पाये जाते हैं।

पशु गणना–

- 2019 के अनुसार **राज्य** में कुल **568.01 लाख** पशुधन (देश के कुल पशुधन का **10.60 प्रतिशत**) है, जिनमें देश का 7.24 प्रतिशत **गौवंश**, 12.47 प्रतिशत **भैंस**, 14 प्रतिशत **बकरियाँ**, 10.64 प्रतिशत **भेड़** तथा 84.43 प्रतिशत **ऊँट** उपलब्ध हैं एवं **146.23 लाख कुक्कुट** संपदा हैं।
- राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष **2019-20** में राज्य का योगदान **दूध उत्पादन** में **13.32 प्रतिशत** एवं **ऊन उत्पादन** में **37.44 प्रतिशत** है।

पशु चिकित्सा–

- पशु चिकित्सा संस्थाओं के अन्तर्गत राज्य में **दिसम्बर, 2021** तक **35** बहुद्देशीय चिकित्सालय, **788** प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, **2075** पशु चिकित्सालय, **5775** पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं **102** जिला चल पशु चिकित्सा इकाई संचालित हैं।

गोपालन विभाग (निदेशालय)–

- **राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार, संरक्षण एवं विकास** के लिए **गोपालन विभाग 13 मार्च, 2014** से कार्यरत है।
- विभाग द्वारा 100 से अधिक मवेशी वाली पंजीकृत **गोशालाओं** को **₹10.00 लाख** की सहायता दी जाती है।
- **राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016** के अन्तर्गत गौशालाओं को वित्तीय सहायता (बड़ा गौवंश ₹40, छोटा गौवंश-₹20 प्रतिदिन, वर्ष में 180 दिन के लिए) का प्रावधान है।
- **गोपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ–**
  - (i) **गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना।**
  - (ii) **गौशाला विकास योजना।**
  - (iii) **कामधेनु डेयरी योजना।**
  - (iv) **थारपारकर एवं गिर नस्ल के गौवंश का संरक्षण-संवर्धन योजना।**

डेयरी विकास–

- राज्य में **दिसम्बर, 2021** तक **23** जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं **16,531** दुग्ध सहकारी समितियाँ **RCDF** की संबंद्धता में संचालित हैं। राजस्थान डेयरी का ब्रांड नाम 'सरस' है।
- **RCDF** द्वारा संचालित योजनाएँ–
  - (i) **राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना** (पाँचवा चरण, 1 जनवरी, 2021 से, दुग्ध उत्पादक की स्थाई अपंगता/मृत्यु होने पर ₹5 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर ₹2.50 लाख की आर्थिक सहायता)
  - (ii) **सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना** (दिस., 2021 तक 46,342 दुग्ध उत्पादकों का बीमा)
  - (iii) **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना** (1 फरवरी, 2019 से प्रारंभ, वर्तमान में **1 अप्रैल, 2022** से दुग्ध उत्पादकों को **₹5 प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन**)

मत्स्य–

- राजस्थान में मत्स्य उत्पादन हेतु कुल **4.23 हैक्टेयर** जलाशय क्षेत्र है। इसके अलावा राज्य में लगभग **0.87 लाख हैक्टेयर** क्षेत्र नदियों-नहरों के पेटे में अन्तर्गत भी है।
- जल संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का **देश में 11वाँ स्थान** है।
- केन्द्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान, मुंबई द्वारा वर्ष **2010** में करवाये गये सर्वे के अनुसार **राजस्थान** में कुल **80 हजार मैट्रिक टन** वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है।
- राजस्थान में वर्ष **2021-22** में **दिसंबर, 2021** तक **32,205.83 मैट्रिक** टन मत्स्य उत्पादन हुआ है।
- **राजस्थान में मत्स्य विभाग की योजनाएँ/गतिविधियाँ–**
  - (i) **आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी योजना** (जयसमंद-उदयपुर, माही बजाज सागर-बाँसवाड़ा, कडाणा बैक वॉटर-डूँगरपुर)

संजीव प्रकाशन

(ii) **मत्स्य लेंडिग केन्द्र** (रामसागर–धौलपुर, बीसलपुर–टोंक, राणा प्रताप सागर–रावतभाटा, जवाई बाँध–पाली, जयसमंद–उदयपुर)

(iii) **नेशनल मिशन फोर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना** (माही बजाज सागर)

वानिकी–

- राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र **32864.62 वर्ग किमी.** है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का **9.60 प्रतिशत** है।
- राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र **4.87 प्रतिशत** है।
- **2019–21** में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में **25.45 वर्ग किमी.** की वृद्धि दर्ज की गई है। (FSI-IFSR-2021)
- राज्य में **3** 'राष्ट्रीय उद्यान, **27** वन्यजीव अभयारण्य, **15** संरक्षित क्षेत्र, **33** आखेट निषिद्ध क्षेत्र, **2** नमभूमि स्थल, **3** बाघ परियोजनाएँ, **15** इको–सेंसेटिव जोन इत्यादि स्थापित किये गये हैं।

पर्यावरण विभाग–

- पर्यावरण विभाग **राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड** एवं अन्य सम्बन्धित विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से **पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता** से सम्बन्धित मामलों को देखता है।
- पर्यावरण विभाग द्वारा निम्न योजनाएँ/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं–

(i) **विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं न्यायालय आदेशों की पालना।**

(ii) **पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम।** (पृथ्वी दिवस–22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस–5 जून, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस–16 सितम्बर)

- राजस्थान में **2010 ई.** में **राज्य जैव विविधता बोर्ड** का गठन किया गया।
- पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिवर्ष **5 जून** को, **विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस** के अवसर पर **राजीव गाँधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार** से सम्मानित किया जाता है।

सहकारिता–

- राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में **29** केन्द्रीय सहकारी बैंक, **23** दुग्ध संघ, **38** उपभोक्ता थोक भण्डार, **36** प्राथमिक भूमि विकास बैंक, **7094** प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ, **274** फल एवं सब्जी विपणन समितियाँ हैं।
- **22 संघों** सहित **37,642 सहकारी समितियाँ** राजस्थान में पंजीकृत हैं।
- कृषकों को फसल उत्पादन हेतु **दीर्घकालीन कृषि ऋण** प्रदान किए जा रहे हैं।
- वर्ष 2021–22 के **दिसम्बर, 2021** तक ₹120.50 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए हैं तथा 27.25 लाख किसानों को दिसम्बर, 2021 तक 243.31 करोड़ के मध्यकालीन कृषि ऋण एवं 14,889.38 करोड़ के अल्पकालीन कृषि एवं गैर कृषि ऋण वितरित किए गए हैं।
- किसानों के लिए निम्न प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं–

(i) शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लघु अवधि के कृषि ऋण

(ii) राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019

(iii) एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2020–21

(iv) रहन से मुक्ति (प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋणियों को उनके ऋण के पूर्ण भुगतान के बाद रहन मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी होना)

(v) कृषि मांगों की वसूली

(vi) दीर्घकालीन ऋणों की वसूली

(vii) फसली ऋण वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया

(viii) किसान सेवा पोर्टल

(ix) राज सहकार पोर्टल

(x) ज्ञान सागर क्रेडिट योजना

(xi) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–2016

(xii) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

(xiii) महिला विकास ऋण योजना

(xiv) सहकारी किसान कल्याण योजना

(xv) जन औषधि केन्द्र

(xvi) अरबन को–ऑपरेटिव बैंक

(xvii) सहकारी विपणन संरचना

(xviii) सहकारी उपभोक्ता संरचना

(xix) सहकारी आवास योजना

4. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

- ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियाँ एवं विकास सुचारु रूप से हों इसलिए राज्य सरकार द्वारा पृथक् से **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** की स्थापना की गई है, जो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है।
- ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे–**आजीविका परियोजनाएँ**, **मनरेगा** एवं **डी.आर.डी.ए.** (प्रशासन) प्रायोजित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना** व **रोजगार बढ़ाना** है।

  ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं–

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (M.G.N.R.E.G.S.)

- **मनरेगा** के अन्तर्गत वर्ष **2021–22**, दिसम्बर 2021 तक कुल **2962.73 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन** कर **63.26 लाख परिवारों को रोजगार** प्रदान कराया गया। इस अवधि में **2.57 लाख** परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष **2020–21** के दौरान **4605.43** लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर **75.43 लाख** परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। 12.31 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया था।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद–राजीविका (R.G.A.V.P.)–

- **राजीविका** की स्थापना ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में **अक्टूबर, 2010** में एक स्वायत्त परिषद् के रूप में की गई।

- इसके द्वारा राज्य में **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** (N.R.L.M.) एवं **राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना** (N.R.E.T.P.) संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (P.M.A.Y.-G.)–

- इसका शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा **20 नवम्बर 2016** को किया गया था।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को **₹1,20,000** सहायता राशि देय है जो केन्द्र एवं राज्य के मध्य **60 : 40** में वहन की जाती है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.L.A.L.A.D.)–

- इस योजनान्तर्गत 2021-22 में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए **₹5 करोड़** का आवंटन (कोविड की विशेष परिस्थिति के कारण) निर्धारित किया (सामान्यत: ₹2 करोड़) गया।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.)–

- इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एवं राज्यसभा सांसद सम्पूर्ण राज्य में प्रतिवर्ष **₹5.00 करोड़** तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम–

- **अलवर** व **भरतपुर** जिलों के मेव बाहुल्य **14** खण्डों में वर्ष **1986-87** से राजस्थान सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (B.A.D.P.)–

- यह कार्यक्रम राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों–**बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर** तथा **जैसलमेर** के **16 विकास खण्डों** में क्रियान्वित किया जा रहा है।

महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना (M.G.J.V.Y.)–

- यह योजना **फरवरी**, 2020 में शुरू की गई। वर्ष 2020 से पूर्व इस योजना का नाम नाम **गुरु गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना** था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए जन-भागीदारी सुनिश्चित करना है।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम–

- पूर्वी राजस्थान के बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र को 'डांग क्षेत्र' के नाम से जाना जाता है।
- यहां पर विकास हेतु राज्य सरकार ने 2005-06 में इस योजना को पुन: प्रारम्भ किया।
- यह कार्यक्रम **8 जिलों** (सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बून्दी) की **26 पंचायत समितियों** में संचालित है।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम–

- राजस्थान का दक्षिणी-मध्य भाग पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है।
- यहां के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु विशेषत: **अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़** एवं **राजसमंद** जिलों के **14 खण्डों** में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष **2005-06** में शुरू किया गया जो वर्तमान में **16 खण्डों** में क्रियान्वित है।

स्व-विवेक जिला विकास–

- यह योजना 2005-06 में प्रारम्भ की गई।
- इसके अन्तर्गत क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना–

- मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के क्रम में **''मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि''** योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना को लागू करने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग द्वारा **6 अप्रैल, 2021** को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बायो-फ्यूल प्राधिकरण–

- राजस्थान की बंजर भूमि में **रतनजोत** व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती से जैविक ईंधन के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष **2007** में राज्य सरकार द्वारा राज्य में **बायोफ्यूल नीति** घोषित कर अलग से **बायोफ्यूल प्राधिकरण** का गठन किया गया है।
- राजस्थान के **12 जिले** (बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त राज्य के **8 पूर्वी जिले** (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं टोंक) करंज के पौधारोपण हेतु उपयुक्त पाए गए हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (S.A.G.Y)–

- सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य **चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास** में तेजी लाना है।

राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड–

- राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि और चरागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ **22 दिसम्बर, 2016** को **''बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड''** के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (M.A.G.P.Y.)–

- इस योजना के माध्यम से चयनित गांवों के कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है।

स्मार्ट विलेज–

- वर्ष **2017-18** में **''स्मार्ट विलेज''** योजना, 3000 से अधिक आबादी वाले गाँवों का चयन कर शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रामों को विकसित करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में **3275** गाँवों का स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया।

महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना–

- महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की **150वीं जयन्ती** (वर्ष 2019) के अवसर पर **27 नवम्बर, 2019** को प्रारम्भ की गई।
- इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक गाँव का चयन कर **गाँधीवादी मूल्यों के अनुसार** विकसित किया जाना है।
- इस योजनान्तर्गत गांवों में प्रत्येक वर्ष **14 नवम्बर** को **''मेरा गांव मेरा गौरव''** दिवस भी आयोजित किया जाता है, तथा राज्य के 22 जिलों में **''गांधी ज्ञान केन्द्र पुस्तकालय एवं वाचनालयों''** का उद्घाटन किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (S.P.M.R.M.)–

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने का प्रयास है। इस मिशन का उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी** सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है।

पंचायती राज–

- देश में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के **नागौर** जिले से **2 अक्टूबर, 1959** को पं. जवाहर लाल नेहरू (भारत के प्रथम प्रधानमंत्री) द्वारा आरम्भ की गयी थी।
- **पंचायती राज संस्थाओं** को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में 24 अप्रैल, 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों** को पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु पर्याप्त शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान किए गये।
- राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत **ग्राम पंचायत**, **पंचायत समिति** एवं **जिला परिषद्** कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान–

(A) **पन्द्रहवाँ वित्त आयोग–**पन्द्रहवाँ वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2020-21 से 2024-25 तक (5 वर्ष) है।

(B) **षष्टम राज्य वित्त आयोग–**षष्टम राज्य वित्त आयोग की पंचाट अवधि वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–

- स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा **2 अक्टूबर, 2014** को प्रारम्भ किया गया था।
- **मार्च, 2018** तक राजस्थान **राज्य खुले में शौच से मुक्त** (ओ.डी.एफ.) हो चुका है। भारत सरकार द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन** (ग्रामीण) का **द्वितीय चरण** वर्ष **2020-21** से प्रारम्भ किया गया है जो **पाँच वर्षों** तक क्रियान्वित किया जायेगा।
- मिशन (ग्रामीण) फेज–II का मुख्य उद्देश्य गांवों में ओ.डी.एफ. की स्थिति को बनाए रखना है और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस बनाना है।

पंचायत पुरस्कार–

- प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिये जाते हैं, जैसे–दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार आदि।

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार-2021

क्रं सं.	पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं के नाम
1.	जिला परिषद–**कोटा**, जिला–कोटा
2.	पंचायत समिति–**कोटड़ा**, जिला–उदयपुर
3.	पंचायत समिति–**चिड़ावा**, जिला–झुन्झुनूं
4.	ग्राम पंचायत–**त्योंदा**, पंचायत समिति खेतड़ी, जिला–झुन्झुनूं
5.	ग्राम पंचायत–**4 एन.एन.चानणा**, पंचायत समिति पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर
6.	ग्राम पंचायत–**थूर**, पंचायत समिति–बडगांव, जिला–उदयपुर
7.	ग्राम पंचायत–**निधेराकलां**, पंचायत समिति–सेपउ, जिला–धौलपुर
8.	ग्राम पंचायत–**बर**, पंचायत समिति–रायपुर, जिला–पाली

- **2021 का नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एन.डी.आर.जी.जी.एस.पी.)–**ग्राम पंचायत–**भोजासर**, पंचायत समिति–झुन्झुनूं, जिला परिषद–झुन्झुनू। (₹10.00 लाख की राशि)
- **2021 का बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सी.एफ.जी.पी.ए.)–**ग्राम पंचायत–**मिण्डा** पंचायत समिति–नावां, जिला–नागौर (₹5.00 लाख)।
- **2021 का ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.ए.) पुरस्कार–**ग्राम पंचायत–**अडवड़**, पंचायत समिति–मूण्डवा जिला–नागौर (₹5.00 लाख)।
- **पंचायती राज** के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम निम्नलिखित हैं–
  - (i) **ग्राम पंचायत विकास योजना–**2015 से।
  - (ii) **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** (R.G.S.A)
  - (iii) **विलेज मास्टर प्लान**
  - (iv) **ग्राम पंचायत भवन निर्माण**
  - (v) **पंचायत समिति भवन निर्माण**
  - (vi) **अम्बेडकर भवन**
- **राजीव गाँधी जल संचय योजना (R.G.J.S.Y.)–**राज्य में भू-जल और खेती योग्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना **20 अगस्त, 2019** को शुरू की गई।
- **प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड कम्पोनेंट (P.M.K.S.Y.)/इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम**

(I.W.M.P.)–इस कार्यक्रम को जलग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष **2009-10** में शुरू किया गया था। इसके स्वीकृत परियोजनाएं **2015-16** से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के तहत चल रही हैं।

ग्रामीण आधारभूत संरचना–

- **ग्रामीण सड़कें**–राज्य में **31 मार्च 2021** तक ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई, **183086.02 कि.मी.** है। डामर सड़कों से जुड़े गांवों का **87.86 प्रतिशत** रहा। राज्य में कुल आबाद ग्रामों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार **43264** है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III**–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत 8,662.50 कि.मी. लम्बाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर उनका उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण**–राज्य सरकार द्वारा **दिसम्बर, 2021** तक 43,201 गाँवों तथा **1.14 लाख ढाणियों** को विद्युतीकृत किया गया एवं **93.97 लाख ग्रामीण परिवारों** को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये।
- **ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)**–ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की स्थापना **नवम्बर, 1995** में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में की गई थी।
- **भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) पंजीकरण**–बौद्धिक सम्पदा अधिकार पहल के तहत पोकरण पोटरी, ब्ल्यू पोटरी, कोटा डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैण्ड ब्लॉक प्रिन्टिंग जैसे शिल्प के लिए रूडा ने जी.आई. (भौगोलिक संकेतक) पंजीकरण प्राप्त किया है। रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों **चमड़ा, ऊन** एवं **वस्त्र** तथा **लघु खनिज** (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है।

5. औद्योगिक विकास

राज्य का औद्योगिक परिदृश्य–

- **कोविड-19 महामारी** की दो लहरों के दौरान पूर्ण लॉकडाउन का सामना करने के बावजूद राज्य के उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर **2020-21** की तुलना में **15.37 प्रतिशत की वृद्धि** अनुमानित है जिसमें **खनन** क्षेत्र में **8.15%**, **विनिर्माण क्षेत्र** में **23.75%**, **निर्माण** क्षेत्र में **7.87%** तथा विद्युत, गैस, जल एवं अन्य उपचारात्मक सेवाओं में **6.81%** है।
- उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत **खनन एवं उत्खनन**, **विनिर्माण**, **विद्युत**, **गैस**, **जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं** तथा **निर्माण क्षेत्र** शामिल हैं।
- उद्योग क्षेत्र का **स्थिर (2011-12) मूल्यों पर** सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2011-12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर **2021-22** में **₹1.78 लाख करोड़** हो गया है। जो कि इस अवधि में **2.69 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाता है।
- **प्रचलित मूल्यों** पर जी.एस.वी.ए. वर्ष 2011-12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में **₹2.75 लाख करोड़** हो गया है जो कि **7.28 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं उद्योग क्षेत्र के उप-क्षेत्रों की संरचना–

- वित्तीय वर्ष **2021-22** में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर **24.67 प्रतिशत** अनुमानित जिसमें **खनन** क्षेत्र का योगदान **2.78%**, **विनिर्माण** क्षेत्र का **10.06%**, **निर्माण** क्षेत्र का **8.68%**, **विद्युत, गैस, जल एवं अन्य उपचारात्मक सेवाओं** का **3.15%** है। समानावधि में उद्योग क्षेत्र में **विनिर्माण** उप-क्षेत्र का योगदान **40.77** प्रतिशत एवं निर्माण उप क्षेत्र का योगदान 35.19 प्रतिशत होना अनुमानित है।

राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक-(आई.आई.पी)–

- यह औद्योगिक निष्पादन का एक प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर आकलन किया जाता है। आई.आई.पी. (आधार वर्ष 2011-12) के क्रम में **विनिर्माण क्षेत्र** में 2020-21 के 122.95 के विरुद्ध **2021-22** में **133.91**, **खनन** 119.43 के विरुद्ध **123.71**, **विद्युत** 126.10 के विरुद्ध **135.77**, **सामान्य सूचकांक** 122.34 के विरुद्ध **131.33**, **दिसम्बर, 2021** तक (प्रावधानिक) है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई. Micro, Small & Medium Enterprises)–

- उद्यम वर्गीकरण के मानदण्डों में दिनांक **1 जुलाई, 2020** से परिवर्तन के परिणामस्वरूप उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत (परिभाषित) किया गया, जिसके अन्तर्गत–
  - **(A) सूक्ष्म उद्यम :** ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **एक करोड़ रुपये** से अधिक नहीं है और कारोबार **पांच करोड़ रुपये** से अधिक नहीं है।
  - **(B) लघु उद्यम :** ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **दस करोड़ रुपये** से अधिक नहीं है और कारोबार **पचास करोड़ रुपये** से अधिक नहीं है।
  - **(C) मध्यम उद्यम :** ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **पचास करोड़ रुपये** से अधिक नहीं है और कारोबार **दो सौ पचास करोड़** रुपये से अधिक नहीं है।

उद्योग क्षेत्र की प्रमुख योजनाएँ–

(i) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई.)–

- राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से **₹10 करोड़ तक का ऋण** उपलब्ध करवाये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'' **13 दिसम्बर 2019** से प्रारम्भ की गई।

(ii) राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019:

- राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित

स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, **17 जुलाई, 2019** को **''राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम-2019''** लागू किया गया।

निर्यात–

- **नीति आयोग** द्वारा **निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)–2020** जारी किया गया है, जिसमें **'लैंडलॉक्ड स्टेट्स'** की श्रेणी में राजस्थान **62.55 सूचकांक** के साथ एक शीर्षस्थ प्रदर्शनकर्त्ता राज्य के रूप में उभरा।
- राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं में **इंजीनियरिंग वस्तुएं**, **कपड़ा**, **हस्तशिल्प**, **धातुएं** और **रासायनिक एवं सम्बद्ध** उत्पाद हैं, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में **50 प्रतिशत से अधिक योगदान** है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्यात **₹52,764.31 करोड़** हुआ है। यह वित्तीय वर्ष **2019-20** में **₹49946.09 करोड़** रहा था। (5.64% वार्षिक वृद्धि)

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान

क्र. स.	क्षेत्र	योगदान
1.	अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) वस्तुएँ	**14.75 प्रतिशत**
2.	हस्तशिल्प	11.76 प्रतिशत
3.	कपड़ा	10.86 प्रतिशत
4.	धातु	10.01 प्रतिशत
5.	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	9.51 प्रतिशत
6.	आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट एवं अभ्रक पत्थर की वस्तुएँ	7.73 प्रतिशत
7.	जवाहरात एवं आभूषण	7.71 प्रतिशत
8.	कृषि एवं खाद्य उत्पाद	7.09 प्रतिशत
9.	अन्य उत्पाद	20.58 प्रतिशत

मिशन निर्यातक बनो–

- निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक **29 जुलाई, 2021** को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में एक अनूठी पहल **''मिशन निर्यातक बनो''** प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये हैं। कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है।

राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना–

- राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु **राज्य निर्यात पुरस्कार योजना-2019** लागू की गई। इसके अन्तर्गत **15 श्रेणियों** में **32 पुरस्कार** एवं एक लाइफटाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड सहित अधिकतम 33 पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं प्रलेखन/दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम–

- निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना वर्ष **2012** से राज्य के ऐसे उद्यमी, जो निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों एवं बाजार की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्थ हैं, के लिए प्रारंभ की गई थी।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग–

- राजस्थान सरकार द्वारा **मार्च, 2021** में उद्योग विभाग का नाम **'उद्योग एवं वाणिज्य विभाग'** कर दिया गया है।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राज्य में **उद्योगों** एवं **हस्तशिल्प** के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है।
- वर्तमान में उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान में **36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र** तथा **8 उप केन्द्र** कार्यरत हैं।

औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत उपलब्धियां–

- **औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आई.ई.एम.)**–वृहद् उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार को वित्तीय वर्ष **2021-22** (नवम्बर, 2021 तक) के दौरान **₹33,708 करोड़** निवेश के साथ **48 प्रस्ताव** प्रस्तुत किए गए हैं।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)**–इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2021-22** (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान **898** इकाइयों को बैंकों से ऋण प्रदान किया गया एवं भारत सरकार द्वारा **₹27.57 करोड़** की मार्जिन मनी प्रदान की गई है।
- **औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर**–औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने से सम्बन्धित प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए **जिला** एवं **पंचायत समिति स्तर** पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए।
- **चर्म प्रशिक्षण उद्योग**–चर्म उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 300 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में **110** व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019–

- **1 जुलाई, 2019** को राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 लागू की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019

- तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019, **17 दिसम्बर, 2019** से प्रभावी की गई है।

दस्तकार परिचय पत्र–

- **जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों** के द्वारा हस्तकला से जुड़े **18 वर्ष** से अधिक आयु वर्ग के कारीगरों को ऑनलाइन **दस्तकार पहचान पत्र** सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) पोर्टल के माध्यम से कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

संजीव प्रकाशन

निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.)–

- निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की **निवेश संवर्धन एजेन्सी** है, जो राज्य में **बड़े निवेश प्रस्तावों की सुविधा** प्रदान करती है।
- वर्ष 2021 के दौरान ₹1,68,490 करोड़ के प्रस्तावित निवेश एवं 1,01,721 व्यक्तियों हेतु रोजगार से युक्त 16 प्रस्तावों की अनुशंसा की गई।

इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम–

- इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम दिसम्बर, 2021 में **7 शहरों** (दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई) में आयोजित किए गए।

एकल खिड़की प्रणाली–

- इस प्रणाली के तहत **दिसम्बर, 2021** तक **15 विभागों** की **105 सेवाएँ** प्रदान की जा रही है। इसके तहत बी.आई.पी. द्वारा '**वन स्टॉप शॉप**' की सुविधा प्रदान की गयी है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)–

- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (**रीको, 1969 में स्थापित**), राज्य के **औद्योगिक विकास** को गति देने वाली शीर्ष संस्था है।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है तथा उद्योगों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ–

- **लघु विकास केन्द्र**–लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिये **लघु विकास केन्द्रों** की स्थापना की गई है।

रीको द्वारा विशेष पार्क्स/जोन

- **एग्रो फूड पार्क**–रीको द्वारा चार फूड पार्क्स **बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर** एवं **श्रीगंगानगर** में विकसित किए गए हैं।
- **जापानी क्षेत्र/जोन**–रीको द्वारा **नीमराना** औद्योगिक क्षेत्र जिला–**अलवर** में जापानी क्षेत्र/जोन स्थापित किया गया है। वर्तमान में इस पार्क में **45 इकाईयां** कार्यरत हैं। एक अन्य जापानी क्षेत्र **अलवर** जिले के **घिलोठ** औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)**–रीको द्वारा दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (अब बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र) जेम्स एण्ड ज्वैलरी प्रथम एवं द्वितीय, **सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर** में स्थापित किए गए हैं।
- **महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर)**-महिन्द्रा ग्रुप ने रीको के साथ मिलकर महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) में ₹5,538.12 करोड़ निवेश के साथ एक **बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र** की स्थापना की है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)–

- **राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड** की स्थापना लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए **जून, 1961** में की गई।

राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.)–

- **राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.)** की स्थापना **राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951** के अन्तर्गत वर्ष 1955 में की गई।

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.)

- **दादरी** (उत्तर प्रदेश) और **जवाहर लाल नेहरू पोर्ट** (मुम्बई) के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग **1504 किमी.** है। जिसका लगभग **38 प्रतिशत** भाग **राजस्थान** से होकर गुजरता है।
- दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का लक्ष्य **नए औद्योगिक शहरों** को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना एवं आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। **प्रथम चरण** में **खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र** (के.बी.एन.आई.आर.) एवं **जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र** (जे.पी.एम.आई.ए.) को विकसित किया जा रहा है।
- राज्य एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में ''**राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम-2016**'' के नाम से एक विशेष कानून **26 अप्रैल, 2016** को अधिसूचित किया गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग (के.वी.आई.)–

- **खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड** की स्थापना वर्ष **1955** में असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए की गई।
- वर्तमान में, राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (P.M.E.G.P.) संचालित किया जा रहा है।

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण–

- इस विभाग का मुख्य कार्य **कारखाना अधिनियम**-1948, **बॉयलर अधिनियम**-1923 एवं **मजदूरी भुगतान अधिनियम**-1936 तथा **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार** (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) **अधिनियम, 1996** के सुरक्षा प्रावधानों को लागू करना है।

खनन (खान एवं खनिज)–

- राजस्थान में **82** प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं। इनमें से वर्तमान में **57** खनिजों का खनन किया जा रहा है।
- राज्य में **प्रधान खनिजों** के **174 खनन पट्टे**, **अप्रधान खनिजों** के **15,280 खनन पट्टे** एवं **17,577 खदान लाइसेंस** विद्यमान हैं।
- राजस्थान **सीसा और जस्ता अयस्क**, **सेलेनाइट**, **वोलेस्टोनाइट**, **सिल्वर**, **केल्साइट**, **जिप्सम**, **बाल क्ले**, **फॉस्फाराइट**, **गेरू**, **स्टेटाइट**, **फेल्सपार**, **फायर क्ले**, **मार्बल**, **सेण्डस्टोन**, **ग्रेनाइट** आदि का एकमात्र/अग्रणी उत्पादक राज्य है।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)–

- राजस्थान में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण/उत्खनन करने के उद्देश्य से **राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड** नाम से एक कम्पनी की स्थापना **30 अक्टूबर, 1974** को **कम्पनी अधिनियम, 1956** के प्रावधानों के तहत की गई।

तेल एवं प्राकृतिक गैस–

- **संयुक्त राज्य अमेरिका** एवं **चीन** के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का **तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** है।
- देश में विश्व का लगभग **5 प्रतिशत कच्चा तेल** खपत होता है। भारत में कुल में से **16 प्रतिशत** कच्चा तेल उत्पादित एवं **84 प्रतिशत** आयात होता है।
- भारत के कच्चे तेल के **कुल उत्पादन (30 M.M.T.P.A.)** में राजस्थान का योगदान लगभग 20 **प्रतिशत (6 मिलियन टन प्रतिवर्ष)** है और यह बॉम्बे हाई, जो कि लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है, के बाद **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।

राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्न **चार पेट्रोलीफेरस बेसिन** के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग कि.मी. (14 जिलों में) क्षेत्र में विस्तृत है–

- **बाड़मेर-सांचोर बेसिन**–(बाड़मेर एवं जालौर जिले)
- **जैसलमेर बेसिन**–(जैसलमेर जिला)
- **बीकानेर-नागौर बेसिन**–(बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)
- **विंध्यन बेसिन**–(कोटा, बारां, बूँदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा)

कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन, उत्पादन एवं विकास की गतिविधियां–

- राजस्थान में खनिज तेल क्षेत्रों में **मंगला** (बाड़मेर) से खनिज तेल का उत्पादन **29 अगस्त, 2009** से प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में **14** तेल क्षेत्रों–**मंगला**, **भाग्यम**, **ऐश्वर्या**, **रागेश्वरी**, **कामेश्वरी** एवं अन्य सैटेलाइट क्षेत्र से लगभग **1,16,000 बैरल्स** खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान **दिसम्बर, 2021** तक **बाड़मेर-सांचौर बेसिन** से कुल **44.68 लाख मीट्रिक टन** (32.35 मिलियन बैरल) खनिज तेल (क्रूड ऑयल) का उत्पादन केयर्न एनर्जी इण्डिया द्वारा किया गया तथा **जैसलमेर एवं बाड़मेर-सांचौर बेसिन** से लगभग 1346.30 एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस का उत्पादन **केयर्न एनर्जी**, **फोकस एनर्जी**, **ओ.एन.जी.सी.एल.** एवं **ऑयल इण्डिया लिमिटेड** द्वारा किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान **दिसम्बर, 2021** तक **2903.14 करोड़** (₹2614.42 करोड़ क्रूड ऑयल रॉयल्टी से, ₹277.29 करोड़ प्राकृतिक गैस रॉयल्टी से तथा ₹9.43 करोड़ पी.ई.एल. फीस अनिवार्य किराया आदि से) राजस्व अर्जित किया गया।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना–

- **9 मिलियन टन वार्षिक परिशोधन क्षमता** की **राजस्थान रिफाइनरी परियोजना** के कार्य का शिलान्यास 18 सितम्बर, 2013 को तथा शुभारम्भ दिनांक **16 जनवरी, 2018** को **पचपदरा, जिला बाड़मेर** में किया गया।
- राजस्थान रिफाइनरी परियोजना **एच.पी.सी.एल.** राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं **राजस्थान सरकार** का क्रमशः **74 प्रतिशत** और **26 प्रतिशत** की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है।
- इस परियोजना की संशोधित लागत लगभग ₹70,000 करोड़ एवं पूर्व में लागत ₹43,129 करोड़ है और यह 2 : 1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है।
- यह रिफाइनरी **बीएस-6 मानक** के उत्पादों का उत्पादन करेगी।
- यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाइनरी **पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स** का सम्मिश्रण है।
- इसके अन्तर्गत **दिसम्बर, 2021** तक विभिन्न निर्माण गतिविधियों हेतु **₹13,170 करोड़** का व्यय किया जा चुका है।

श्रम–

- राज्य सरकार द्वारा **30 जुलाई, 2021** को अधिसूचना जारी कर **1 जुलाई, 2020** से **न्यूनतम मजदूरी** की दर **₹252** अकुशल श्रमिक, **₹264** अर्द्धकुशल श्रमिक, **₹276** कुशल श्रमिक एवं **₹326** उच्च कुशल श्रमिक प्रतिदिन की गई।
- विभाग के अन्तर्गत बी.ओ.सी. डब्ल्यू. के तहत निर्माण श्रमिकों हेतु निम्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं–
  - निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
  - निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
  - निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
  - प्रसूति सहायता योजना
  - शुभशक्ति योजना
  - निर्माण श्रमिक की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता परियोजना
  - सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
  - निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट योजना
  - निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसायिक ऋण पर ब्याज की पुनर्भरण योजना
  - निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना
  - निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना
  - निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा में होने वाले व्यय की पुनर्भरण योजना
  - निर्माण श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों हेतु प्रोत्साहन योजना

रोजगार विभाग–

- रोजगार कार्यालयों में **बेरोजगार आशार्थियों** का **पंजीयन** किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर **आशार्थी** उपलब्ध करवाये जाते हैं।

संजीव प्रकाशन

- वर्ष **2021** में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 1,63,840 बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 80,166 महिलाएं, 28,142 अनुसूचित जाति, 15,005 अनुसूचित जनजाति तथा 83,685 अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति थे।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 163 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया और रोजगार के अवसरों के माध्यम से 7,101 रोजगार चाहने वालों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना–

- राज्य सरकार के द्वारा इसे **1 फरवरी, 2019** को शुरू किया गया था, बेरोजगारी भत्ता **₹3,000** पुरुषों के लिए तथा ₹3500 महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह **अधिकतम दो वर्ष** या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से **दिसम्बर, 2021** तक 3,53,915 आशार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं ₹1305.29 करोड़ की राशि का बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹462.76 करोड़ राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की गई है।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को **अधिक प्रभावी** बनाने एवं युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से नवीन दिशा-निर्देश **''मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021'' 27 अक्टूबर, 2021** को जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम तीन महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद **चार घंटे की इंटर्नशिप** करनी होगी। इसके अतिरिक्त, भत्ता राशि में भी **₹1,000** (पुरुष आवेदकों के लिए ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए ₹4500) की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021 के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी हुए।

मॉडल कॅरियर सेंटर्स (एम.सी.सी.) की स्थापना–

- भारत सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों के ढाँचे को मॉडल कॅरियर सेंटर के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में **16 मॉडल कॅरियर सेंटर** की अनुमति प्राप्त हुई है, जिसमें से 3 मॉडल कॅरियर सेंटर्स–**बीकानेर, भरतपुर** व **कोटा** ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

राज-कौशल पोर्टल–

- कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध तथा जनशक्ति एवं नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने हेतु मुख्यमंत्री ने **5 जून, 2020** को **राज-कौशल पोर्टल** का लोकार्पण किया। इस पोर्टल पर **59.92 लाख** कुल श्रमिक/जनशक्ति तथा **9.59 लाख** कुल नियोक्ता उपलब्ध हैं। इस तरह की पहल करने वाला **राजस्थान देश का अग्रणी राज्य** है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस. एल. डी.सी)–

- आजीविका पर मिशन स्थापित करने वाला राजस्थान भारत का **पहला राज्य** था।
- राज्य में 640 से अधिक भागीदार एजेंसियां सूचीबद्ध हैं।
- **दिसम्बर, 2021** तक विभिन्न क्षेत्रों में **4.92 लाख** से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- **राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम** राज्य में कौशल और उद्यमिता के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।
- **आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित राज्य पोषित योजनाएँ–**
  - **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम** (राजविक)
  - **स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान** (सक्षम)
  - समर्थ (निर्धनतम, भिक्षावृत्ति में लीन इत्यादि को कौशल प्रशिक्षण हेतु) योजना
  - **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना** (एम.एम.वाई.के.वाई.)– यह **7 नवम्बर, 2019** को शुरू की गई।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 (एम.एम.वाई.के.वाई. 2.0)–

- **कोविड-19** स्थितियों को देखते हुये आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा राजकीय विद्यालयों के नियमित छात्रों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिये एम.एम.वाई.के.वाई. 2.0 प्रारम्भ किया गया है।
- **आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित केन्द्र पोषित योजनाएँ–**
  - **प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना** (पीएमकेवीवाई)
  - **स्किल एक्यूजीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवली हुड प्रमोशन** (संकल्प)
  - **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** (डीडीयू-जीकेवाई)।

विशेष योजनाएँ–

- **भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास (भोर) कार्यक्रम**– भिक्षुक मुक्त शहर
- **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण**–जल स्वच्छता सहायता संगठन
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम** (N.B.C.F.D.C.)
- **आई एम शक्ति** (इंदिरा महिला शक्ति-कौशल समृद्धि योजना)

अभिसरण पहल–

- आरएसएलडीसी अभिसरण के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत घटक कौशल के लिए नोडल एजेंसी है। वर्तमान में, कम्पनी अभिसरण के तहत निम्नलिखित 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही–
  - **राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम** (एससीडीसी)
  - **जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग** (टीएडी)
  - **अल्पसंख्यक विभाग**
- **'कौशल पूर्ण राजस्थान' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नवाचार–**
  - **सीएसआर पार्टनरशिप**–राजस्थान कौशल विकास कोष में प्रत्यक्ष योगदान जुटाने, कॉरपोरेट कौशल केन्द्रों की स्थापना करने तथा भूमि, भवन एवं मशीनरी इत्यादि का दान प्राप्त

करने के लिए आरएसएलडीसी द्वारा एक समर्पित सीएसआर सेल का गठन किया गया है।

- **रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय (आरटीडी)**–आरएसएलडीसी ने सुस्थापित और प्रतिष्ठित उद्योग संघों के साथ काम करने के लिए **रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय** (आरटीडी) की शुरुआत की है।
- **पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईटीटी)**–राजस्थान सरकार ने पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु **आईटीईईएस, सिंगापुर** के साथ **उदयपुर** में पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र सीईटीटी की स्थापना की है।
- **ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ**–इनके मुख्य कार्य विदेश में नौकरी हेतु जाने के इच्छुक युवाओं को सूचना, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाना, नियोजित किए जाने की सुविधा, विदेशों में नियोजन हेतु सम्पर्क शिविरों की स्थापना, सुरक्षित एवं वैध प्रवास हेतु जागरूकता शिविर, प्रस्ताव से पूर्व आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है।
- **प्रस्थान पूर्व दिशा-निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम (पी.डी.ओ.टी)**–विदेशी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्य करने हेतु विदेश जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को **5 जिलों जयपुर**, **सीकर**, **झुंझुनूं**, **चूरू** एवं **नागौर** में प्रस्थान पूर्व दिशा-निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रों की मंजूरी दी गयी है।
- **जेल कैदियों, किशोरों एवं दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण**–राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा **जयपुर केन्द्रीय कारागृह, भीलवाड़ा जेल, बालिका सुधार गृह** में प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- **विश्व युवा कौशल दिवस**–राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष **15 जुलाई** को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व युवा कौशल दिवस **15 जुलाई, 2015** को मनाया गया।
- **स्किल आइकन ऑफ दी मंथ**–राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा **मार्च, 2015** में **'स्किल आइकन ऑफ दी मंथ'** नामक पहल की शुरुआत उन युवाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है। इसकी स्थापना से लेकर **दिसम्बर 2021** तक 72 **'स्किल आईकन'** पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
- **जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति (डी.एल.एस.डी.सी.)**–जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति जिलों में कौशल विकास परियोजनाओं की निगरानी एवं पहुँच बढ़ाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

पुरस्कार–

- **इंडिया स्किल्स-2021**–इंडिया स्किल्स-2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान को **8 स्वर्ण** और **8 रजत** पदक प्राप्त हुए हैं।
- इंडिया स्किल्स कॉम्पीटिशन भारत में कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने एवं युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए डिजाइन की गई है।

6. आधारभूत संरचना का विकास

- किसी भी क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास को सामान्य रूप से आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। **परिवहन सुविधाएँ**, **संचार सेवाएँ** और **ऊर्जा क्षेत्र** अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तम्भों में से एक हैं।

ऊर्जा–

- ऊर्जा को **अर्थव्यवस्था की रीढ़** कहा जाता है। यह **कृषि**, **उद्योग**, **सेवा** व अन्य सभी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को सम्भव बनाती है।
- **राजस्थान का बिजली नेटवर्क** देश की प्रमुख प्रणालियों में से एक है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं की मांगों की पूर्ति करता है।
- राज्य में ऊर्जा उत्पादन विभिन्न **जल**, **तापीय**, **गैस**, पवन, **सौर बायोमास**, **परमाणु** ऊर्जा से हो रहा है।
- राज्य में **मार्च 2021** तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता **21,979 मेगावाट** थी। अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तक 1,342.50 मेगावाट की वृद्धि हुई है। अत: **दिसम्बर, 2021** तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर **23,321.40 मेगावाट** हो गई है। जिसमें–
- राज्य की **स्वयं की भागीदारी की परियोजनाओं** में **9450.79 मेगावाट** (तापीय-7830.00, जल विद्युत-1017.29 और गैस-603.50 मेगावाट) अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है।
- **केन्द्रीय परियोजनाओं** से राज्य को आवंटन में **3321.96 मेगावाट** (तापीय-1903.46, जल विद्युत-740.66, गैस-221.10 और परमाणु 456.74 मेगावाट) है।
- आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अन्तर्गत **10548.65 मेगावाट** (पवन-3734.10, बायोमास-101.95, सौर ऊर्जा-2970.60, तापीय जल विद्युत-3742.00 मेगावाट) है।
- इस तरह **दिसम्बर, 2021** तक ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता **2020-21** के **21978.90 मेगावाट** के मुकाबले 23321.40 मेगावाट हो गयी है।

प्रसारण तन्त्र प्रणाली–

- राज्य में **मार्च, 2017** तक कुल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज का प्रसारण नेटवर्क **36079 सर्किट कि.मी.** था जो कि सार्वजनिक निजी सहभागिता सहित मार्च, 2021 तक बढ़कर **43111 सर्किट** कि.मी. हो गया तथा वित्तीय वर्ष **2021-22** में **दिसम्बर, 2021** तक **243.12 सर्किट कि.मी.** और जुड़कर 43354.60 सर्किट किमी. हो गया है।
- वर्ष **2017-18** से **2020-21** तक की अवधि में कुल प्रसारण नेटवर्क में **20 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता **मार्च, 2021** तक **8561.36 करोड़ यूनिट** हो गई है। इसमें **2017-18** से **2020-21**

संजीव प्रकाशन

तक **23.68 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है तथा **शुद्ध ऊर्जा** के उपभोग में **27.61 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है।

अभिनव योजनाएँ–

- **स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली का क्रियान्वयन** (STNAMS)।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण तन्त्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करना।

वितरण प्रणाली–

- **उपभोक्ता**–श्रेणीवार विभिन्न उपभोक्ता **मार्च 2021** तक 16984727 (लगभग 169.85 लाख) थे जो **2.09 प्रतिशत** की वृद्धि के साथ **नवम्बर 2021** तक 17339805 (लगभग **173.40 लाख**) पहुँच गई है।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण**–राज्य में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **दिसम्बर, 2021** तक **43,201 गाँवों** तथा **1.14 लाख ढाणियों** एवं **93.97 लाख ग्रामीण परिवारों** का विद्युतीकरण किया गया है।
- **कृषि कनेक्शन**–वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान माह **दिसम्बर, 2021** तक **60,672 किसानों** को कृषि कनेक्शन जारी किए गये।
- **पी.एम. कुसुम योजना का क्रियान्वयन**–भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पम्प और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयन्त्रों को स्थापित करने के लिए **'किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम)'** योजना को प्रारंभ किया है।

फ्लेगशिप योजना–

- **मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना**–इसके अन्तर्गत 2021–22 में पूर्व में संचालित **डी.बी.टी. योजना** को और अधिक बेहतर बनाते हुए सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को **''मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना''** के तहत प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम **₹12,000** तक की राशि दिये जाने की घोषणा की गई। इसके तहत **दिसम्बर, 2021** तक **9.39 लाख किसानों** को **₹324.09 करोड़** का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया।
- कोविड-19 के प्रभाव के कारण सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को जिलों में बकाया विलम्ब शुल्क/ब्याज में शिथिलता दी गई।

अक्षय ऊर्जा–

- इसके अन्तर्गत सौर ऊर्जा, सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास, सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम (फेज-1), सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम (फेज-2), अक्षय ऊर्जा सर्विस कम्पनी (RESCO), मोड सोलर रूफटॉप योजना, पवन ऊर्जा कार्यक्रम (पवन ऊर्जा), जैविक द्रव्य ऊर्जा (बायोमास ऊर्जा), ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम इत्यादि आते हैं।
- **दिसम्बर, 2021** तक लागू विभिन्न योजनाओं के राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड द्वारा क्रियान्विति की स्थिति निम्न है–
  - राजस्थान में सौर स्रोत से **142 गीगावाट** क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है।
  - राजस्थान में **दिसम्बर, 2021** तक **9228.70 मेगावाट** क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।
  - **भड़ला, जोधपुर** में **2245 मेगावाट क्षमता** का सोलरपार्क चार चरणों (फेज) में विकसित किया गया है।
  - राज्य में **दिसम्बर, 2021** तक नेट मीटरिंग रेग्युलेशन के अन्तर्गत (सब्सिडी प्रोजेक्ट्स सहित) कुल **668 मेगावाट क्षमता** के रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
  - **अक्षय ऊर्जा सर्विस कम्पनी (RESCO) मोड सोलर रूफटॉप योजना**–राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में सभी राजकीय भवनों पर नेट मीटरिंग प्रणाली के अन्तर्गत आर.ई.एस.सी.ओ. मोड में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का कार्य शुरू किया गया है। इसमें **दिसम्बर, 2021** तक **2.60 मेगावाट क्षमता** के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
  - **पवन ऊर्जा कार्यक्रम (पवन ऊर्जा)**–राजस्थान सरकार द्वारा **राजस्थान विंड एण्ड हाईब्रिड एनर्जी पॉलिसी**-2019 दिनांक **18 दिसम्बर, 2019** को जारी की गई। राज्य में **120 हब** की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता लगभग **1,27,750 मेगावाट** है। **दिसम्बर, 2021** तक राज्य में कुल **4,338 मेगावाट** क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
  - **बायोमास ऊर्जा**–अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। राज्य में **बायोमास ऊर्जा** के प्रमुख स्रोत **सरसों की तूड़ी** व **जूली फ्लोरा** है। राज्य में **दिसम्बर, 2021** तक **120.45 मेगावाट** क्षमता के **13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र** स्थापित किये जा चुके हैं।
  - वर्ष 2009 से **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम** प्रत्येक वर्ष **14 दिसम्बर** को **''ऊर्जा संरक्षण दिवस''** आयोजित करता है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग, सरकारी भवन, अस्पताल, ऊर्जा अंकेक्षक/प्रबंधक, व्यक्तिगत, संस्था इत्यादि श्रेणियों के अन्तर्गत **''राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार''** प्रदान किए जाते हैं।
  - राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिऐंशी द्वारा स्टेट परफोरमेन्स श्रेणी में **नेशनल एनर्जी कन्जरवेशन अवार्ड 2021** में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

सड़क–

- अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा रीढ़ है, तो सड़कें **जीवन रेखा** हैं।
- राज्य में **31 मार्च, 2021** तक सड़कों की कुल लम्बाई **272959.28 कि.मी.** (राष्ट्रीय राजमार्ग-10618.09, राज्य राजमार्ग-15544.95, मुख्य जिला सड़क-8964.55, अन्य जिला सड़क-54745.67 व ग्रामीण सड़क-183086.02 कि.मी.) हो गयी है।
- **31 मार्च, 2021** तक राज्य में सड़कों का घनत्व **79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर** है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति **100 वर्ग कि.मी.** पर **161.71 कि.मी.** है।
- वर्ग 2021-22 सड़क क्षेत्र के लिए निर्धारित **₹7446.78 करोड़** बजट के विरुद्ध **दिसम्बर, 2021** तक **₹3797.74 करोड़ (51 प्रतिशत)** व्यय किया गया।

- **राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (R.S.R.T.C.)**–इसकी स्थापना **1 अक्टूबर, 1964** को की गई।
- **दिसम्बर, 2021** तक निगम द्वारा स्वयं एवं अनुबन्धित कुल 4364 बसों का संचालन किया जा रहा है जिनमें से आवश्यकतानुसार **दिसम्बर, 2021** तक **3242 बसों** का संचालन किया गया।
- **R.S.R.T.C.** द्वारा वर्ष **2021-22** के अन्तर्गत **दिसम्बर, 2021** तक महिला दिवस (**8 मार्च**) पर 717475 महिलाओं एवं रक्षाबंधन पर 745792 महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी गई।

परिवहन–

- यातायात विभाग में वर्ष 2021-22 में **दिसम्बर, 2021** तक कुल **783865 मोटर वाहन पंजीकृत** हुए। यह संख्या वर्ष 2020-21 में 992956 रही थी।

रेलवे–

- राजस्थान में रेलमार्गों की कुल लम्बाई **मार्च, 2019** के अन्त तक **5937 कि.मी.** थी, जो **मार्च, 2020** के अन्त तक **5,998 किलोमीटर** (भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार) हो गई है।
- **राजस्थान** में रेलमार्ग **67,956 किलोमीटर** लम्बाई के भारतीय रेलमार्ग का **8.83 प्रतिशत** है।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएँ–

- डाक एवं दूरसंचार सेवाएँ अर्थव्यवस्था को विकसित करने का विशेष साधन हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों, खण्डों एवं समुदायों को जोड़ने का कार्य भी करती हैं।
- **मार्च, 2021** तक राज्य में कुल **डाकघरों** की संख्या **10,287** एवं **टेलीकॉम उपभोक्ताओं** की संख्या **6.68 करोड़** थी।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा–

- **राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F.)** में वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में **1 अप्रैल, 2021** को **₹2979.44 करोड़** शेष के रूप में उपलब्ध थे।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में **₹1975.00 करोड़** की राशि के विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में **₹1580.00 करोड़** प्राप्त हुए।
- **वर्ष** 2020-21 के लिए प्रारम्भिक शेष सहित कुल **₹4559.44 करोड़** की राशि उपलब्ध है, जिसमें से **दिसम्बर, 2021** तक **₹1419.42 करोड़** (**पेयजल**–₹3.86, पशु संरक्षण गतिविधियाँ–**₹15.03**, कृषि आदान अनुदान एवं टिड्डी नियन्त्रण–**₹387.14**, कोविड-19–**₹775.20** एवं अन्य मद **₹238.19 करोड़**) की राशि आवंटित की गई।

7. सेवा क्षेत्र

- राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अंतर्गत **व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा** एवं **व्यावसायिक सेवाएँ** तथा **सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ** सम्मिलित हैं।
- **सेवा क्षेत्र** का **स्थिर** (2011-12) **बुनियादी मूल्यों** पर **सकल राज्य मूल्य वर्धन (G.S.V.A.)** वर्ष **2017-18** में **₹2.49 लाख करोड़** की तुलना में वर्ष **2021-22** में **₹3.02 लाख करोड़** अनुमानित है, जो इस अवधि में **4.93 प्रतिशत की औसत वृद्धि** दर्शाता है।
- **प्रचलित मूल्यों** पर सेवा क्षेत्र का **सकल राज्य मूल्य वर्धन** (G.S.V.A) वर्ष 2017-18 में ₹3.52 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष **2021-22** में **₹5.03 लाख करोड़** अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 9.38 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्शाता है।
- वर्ष **2021-22** में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्य पर **45.10 प्रतिशत** योगदान के साथ **सबसे बड़ा क्षेत्र** बना हुआ है।
- **कोविड-19** का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर भी पड़ा। वर्ष **2019-20** में सेवा क्षेत्र का योगदान **47.63 प्रतिशत** रहा था।
- सेवा क्षेत्र का प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर उपक्षेत्रवार वितरण वित्तीय वर्ष **2021-22** में **व्यापार, होटल, जलपान-गृह** में **28.42%, परिवहन भण्डारण व संचार** में **10.51%, वित्तीय सेवा** में **8.59%, स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों** का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएँ **23.05%, लोक प्रशासन 7.21%** तथा **अन्य सेवाओं** का **22.22%** अनुमानित रहा है।

सेवा क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों पर–सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में 3.49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष **2020-21** में **-5.84 प्रतिशत की तेज गिरावट** के साथ अस्थिर रही है, जो कि **कोविड-19 महामारी** से उपजे आर्थिक आपदा के कारण थी।

- **वर्ष** 2021-22 में वृद्धि दर **11.89 प्रतिशत** हो गयी है जिसमें व्यापार, होटल और जलपान गृह में 17.53%, परिवहन, भंडारण और संचार में 7.42%, वित्तीय सेवाओं में 4.00%, स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाओं में 11.93%, लोक प्रशासन सेवाओं में 8.54% एवं अन्य सेवाओं में 12.41% के बढ़ने का अनुमान है।

पर्यटन–

- राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कैलेण्डर वर्ष **2021** के दौरान **220.24 लाख (219.89 लाख स्वदेशी** एवं **0.35 लाख विदेशी)** पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।
- **राजस्थान पर्यटन नीति,** 2020 की अनुपालना में **16 अप्रैल, 2021** से **गेस्ट हाउस स्कीम, 2021** एवं **21 अक्टूबर, 2021** को **राजस्थान होम स्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना, 2021** लागू की गई। **27 सितम्बर, 2021** को मुख्यमंत्री द्वारा **'राजस्थान टूरिज्म मोबाइल-ऐप'** का लोकार्पण किया गया।
- **फरवरी-मार्च** 2021 में निम्न **5 मेलों** का आयोजन किया गया–
  (i) **मरु महोत्सव, जैसलमेर**
  (ii) **ब्रज होली उत्सव, भरतपुर**
  (iii) **चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव**
  (iv) **शेखावाटी उत्सव, लक्ष्मणगढ़**
  (v) **नागौर मेला**

- **22 सितम्बर 2021** को **'मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना'** को मंजूरी दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में **दिसम्बर 2021** तक **14 हेरिटेज सम्पत्तियों** को हेरिटेज प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

संस्कृति–

जवाहर कला केन्द्र–

- जवाहर कला केन्द्र (जे.के.के.) दृश्यकला, प्रदर्शनकला (संगीत, नृत्य और नाट्य) तथा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षा हेतु उत्कृष्टता का केन्द्र है।

पुरातत्त्व एवं संग्रहालय

- पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा कला एवं वास्तुकला के विभिन्न रूपों में समाविष्ट सांस्कृतिक विरासत की खोज, सुरक्षित, संरक्षण, प्रदर्शन और विवेचन आदि के सम्बन्ध में ठोस प्रयास किए गए हैं।
- **सितम्बर,** 2021 में विभागीय शोध पत्रिका **'पुरासम्पदा'**-2020 का प्रकाशन किया गया।

देवस्थान विभाग–

- देवस्थान विभाग द्वारा **390** राज्य प्रत्यक्ष प्रभार और **203** राज्य आत्मनिर्भर मन्दिरों और संस्थाओं का सीधा प्रबन्धन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- देवस्थान विभाग द्वारा निम्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं–
  - मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य,
  - ट्रस्ट द्वारा संचालित मन्दिरों को सहायता,
  - **वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना एवं सिन्धु दर्शन,**
  - **कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा योजना,**
  - **मोक्ष कलश योजना।**

वित्तीय सेवाएँ–

- वित्तीय संस्थाओं में **बैंक** आते हैं। इनके द्वारा जमाओं को प्रोत्साहन एवं विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण कर राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जा रही है।
- **सितम्बर,** 2021 तक सभी अनुसूचित वाणिज्य (ग्रामीण, निजी, विदेशी, सार्वजनिक, लघु वित्त एवं पेमेंट) बैंकों की संख्या राजस्थान में **7791** तथा भारत में **151157** है।
- **कुल जमा** सितम्बर, 2021 तक **राजस्थान** में **₹496510 करोड़** तथा **भारत** में **₹15940446 करोड़** है एवं **कुल ऋण राजस्थान** में **₹375030 करोड़** तथा **भारत** में **₹11159792 करोड़** है।
- **सितम्बर,** 2020 की तुलना में **सितम्बर** 2021 में कुल **जमाओं** में **09.03 प्रतिशत** और **ऋण** वितरण में **9.20 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है।
- **राज्य में बैंकों के माध्यम से संचालित योजनाएँ–**
  - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपीवाई)
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
  - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)
  - विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
  - इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (आईएमएसयूपीवाई)
  - मुख्यमंत्री लघु-उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई)
  - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
  - **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–**इस योजना में लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के **₹50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।**

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना

- भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य **डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन** किया गया है, जो **5 अक्टूबर, 2021** से प्रभावी है।
- वर्तमान में **79** राज्य और **71** सीएसएस डीबीटी योजनाएं डीबीटी भारत पोर्टल पर हैं।
- वर्ष **2021-22** के दौरान राज्य की डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग 18 है और डीबीटी भारत पोर्टल पर **स्कोर 57.5** दर्शाया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

- इसके अन्तर्गत–**जन सूचना पोर्टल** (इस पोर्टल पर 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी उपलब्ध है), **यू.आई.डी.** (आधार), **राजस्थान स्टार्टअप** (प्रत्येक स्टार्टअप को ₹5 लाख की सहायता सीड मनी के रूप में तथा दिसम्बर, 2021 में 28 स्टार्टअप्स का चयन किया गया), **राजस्थान सम्पर्क पोर्टल** (मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के लिए 181 शुरू किया गया)।
- **कोविड-19** में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा कोविड-19 महामारी की वेबसाइट का संचालन, ई-औषधि-कोविड-19 के स्टॉक की मॉनिटरिंग, राजकोविड इन्फो एप, मोबिलिटी पास, कोविड-19 सांख्यिकी एप्लिकेशन और बीआई डेशबोर्ड/रिपोर्ट, मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित **वेबसाइट** और **मोबाइल ऐप** का संचालन किया जा रहा है।

राजस्थान जन-आधार योजना–

- आम लोगों तक विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप में पहुँचाने के लिए **'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **'राजस्थान जन-आधार योजना'** लागू की गई। 18 दिसम्बर, 2019 को इसे शुरू किया गया। **31 दिसम्बर, 2021** तक इसमें कुल नामांकित परिवार **1.87 करोड़,** नामांकित व्यक्ति **7.15 करोड़,** कुल लेन-देनों की संख्या (नकद और गैर-नकद) **105.47 करोड़, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (D.B.T.)** के द्वारा कुल नकद लाभ हस्तान्तरण **₹44997 करोड़** उपलब्धि हासिल हुई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना **1983** में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग से समाज में वैज्ञानिक वातावरण विकसित करने तथा जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु की गई।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों में उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ-साथ राज्य की नीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय करता है।

संजीव प्रकाशन

- राज्य सरकार द्वारा **2021–22** के दौरान, इस विभाग हेतु राशि **₹995.19** लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से **दिसम्बर, 2021** तक **₹437.56** लाख व्यय किए जा चुके हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन–

- इसकी शुरुआत राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने तथा अपनी मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाये रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई।
- राजस्थान फाउण्डेशन के **अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार** हैं।
- राजस्थान फाउण्डेशन के **न्यूजलेटर** का नवीनतम संस्करण **'माटी रो संदेश' सितम्बर 2021** में प्रकाशित किया गया है।

आयोजना (जनशक्ति) विभाग–

- **आयोजना (जनशक्ति) विभाग** चरणबद्ध रूप से **जिला गजेटियर्स** का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है।
- वर्ष **2021–22** के दौरान, विभाग हेतु राशि **₹**218.60 लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक **₹**142.97 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

मूल्यांकन संगठन–

- इसके द्वारा राज्य में चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता एवं विफलता का आकलन कर आवश्यक सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है। वर्ष **2021–22** के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक), **11** मूल्यांकन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं और **19** विभिन्न योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्टों का प्रकाशन विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

8. शहरीकरण और शहरी विकास

- शहरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण, **''शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि''** तथा प्रत्येक समाज के द्वारा इस तरह के बदलाव को स्वीकार करने से है।
- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, 2019** के अनुसार वर्ष **2007** में विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है और इसकी हिस्सेदारी वर्ष **2030** तक **60 प्रतिशत** तक होने का अनुमान है।

राजस्थान में शहरीकरण–

- भारत में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 17.97 प्रतिशत से वर्ष 2011 में बढ़कर **31.14 प्रतिशत** हो गई।
- राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी में वृद्धि अनवरत हुई है। यह वर्ष 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष जनगणना–2011 में **24.87 प्रतिशत** हो गई है।
- राजस्थान में वर्ष **2001** में कुल शहरी जनसंख्या **132 लाख** थी, जिसमें **70 लाख** पुरुष और **62 लाख** महिलाएं थीं। यह वर्ष **2011** में **170 लाख** हो गयी जिसमें **89 लाख** पुरुष और **81 लाख** महिलाएं थीं।
- राजस्थान में वर्ष **2021** में कुल शहरी जनसंख्या **209 लाख** (**109 लाख** पुरुष, **100 लाख** महिलाएं) अनुमानित है एवं वर्ष **2031** में यह **242 लाख** (**126** लाख पुरुष व **116 लाख** महिलाएं) अनुमानित है।
- राजस्थान में **0–6** वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 और 2011 में लगभग समान रही। वर्ष 2001 में यह **107** लाख (56 लाख लड़के, 51 लाख लड़कियां) एवं वर्ष 2011 में **106 लाख** (56 लाख लड़के, 50 लाख लड़कियां) रही।
- राजस्थान में **0–6 आयु वर्ग** की **शहरी क्षेत्र** में जनसंख्या वर्ष 2001 में 20.64 लाख से बढ़कर वर्ष **2011** में **22.35 लाख** हो गई। वर्ष **2011** में बच्चों की कुल शहरी जनसंख्या में **53.37 प्रतिशत** लड़के और **46.63 प्रतिशत** लड़कियां थीं, जबकि वर्ष 2001 में **52.98 प्रतिशत** लड़के और **47.02 प्रतिशत** लड़कियां थीं।

लिंगानुपात–

- वर्ष **2011** में राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर **914** महिलाओं का था। यह वर्ष 2001 में 890 था।
- वर्ष **2011** में **ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात** प्रति हजार पुरुषों पर **933** महिलाओं का है। वर्ष 2001 में यह 930 रहा था।
- वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले निम्न रहे–

सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले

क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	**टोंक**	**985**
2.	बांसवाड़ा	964
3.	प्रतापगढ़	963
4.	डूंगरपुर	951
5.	राजसमंद	948

न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले

क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	**जैसलमेर**	**807**
2.	धौलपुर	864
3.	अलवर	872
4.	श्रीगंगानगर	878
5.	भरतपुर	887

- वर्ष **2011** में **0–6 आयु वर्ग** बाल लिंगानुपात–शहरी प्रति हजार लड़कों पर **874** लड़कियाँ एवं ग्रामीण प्रति हजार लड़कों पर **892** हो गया। 2001 में शहरी बाल लिंगानुपात प्रति हजार लड़कों पर 887 एवं ग्रामीण प्रति हजार लड़कों पर 914 रहा था।
- जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले–

सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले

क्र.सं.	जिले	बाल लिंगानुपात
1.	**नागौर**	**907**
2.	बीकानेर	906
3.	भीलवाड़ा	904
4.	बारां	901
5.	चूरू	899

न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले

क्र.सं.	जिले	बाल लिंगानुपात
1.	**धौलपुर**	**841**
2.	श्रीगंगानगर	842
3.	दौसा	847
4.	अलवर	851
5.	भरतपुर, हनुमानगढ़	852

साक्षरता दर–

- राजस्थान में साक्षरता दर वर्ष 2001 के 60.40 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में **66.11 प्रतिशत** हो गई। जिसमें **शहरी साक्षरता** दर वर्ष 2011 में **79.70 प्रतिशत** एवं ग्रामीण **साक्षरता** दर **61.40 प्रतिशत** थी।
- वर्ष **2011 की जनगणना** के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले–

सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले

क्र.सं.	जिले	साक्षरता दर
1.	**उदयपुर**	**87.5**
2.	बांसवाड़ा	85.2
3.	प्रतापगढ़	84.8
4.	डूंगरपुर	84.4
5.	अजमेर	83.9

न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले

क्र.सं.	जिले	साक्षरता दर
1.	**नागौर**	**70.6**
2.	जालौर	71.1
3.	चूरू	72.6
4.	धौलपुर	72.7
5.	करौली	72.8

राजस्थान में शहरी विकास–

- राजस्थान में **4** विकास प्राधिकरण (जयपुर, जोधपुर अजमेर एवं भिवाड़ी), **14** शहरी विकास न्यास, **राजस्थान आवासन मण्डल** एवं **जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन** लि. नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत हैं।

जयपुर मेट्रो–

- **जयपुर मेट्रो के फेज-1A (मानसरोवर से चांदपोल)** पर मेट्रो संचालन **3 जून, 2015** से प्रारम्भ हुआ। **फेज-1B** (चांदपोल से बड़ी चौपड़-**2.01 कि.मी.**) पर मेट्रो संचालन **23 सितम्बर, 2020** से प्रारम्भ हुआ।
- **फेज 1C (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर)**–इस **2.85 किमी.** प्रस्तावित प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹870 करोड़ है।
- **फेज-2 (सीतापुरा से अम्बाबाड़ी)**–इस **23.5 किमी.** प्रस्तावित प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹4600 करोड़ है।

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (रेरा)

- रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट (रेरा) 2016, भारत सरकार द्वारा **1 मई, 2016** से आंशिक रूप से लागू किया गया था तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान **1 मई, 2017** से प्रभावी हो गये।
- **1 मई, 2017** को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को **राजस्थान रियल एस्टेट** (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) **नियम, 2017** के नाम से अधिसूचित किया गया।
- **राजस्थान सरकार** द्वारा **6 मार्च, 2019** को **राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा)** एवं **रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल** का गठन किया गया है।
- रेरा द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 1733 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण रेरा के अन्तर्गत किया जा चुका है।
- **राजस्थान आवासन मण्डल** की स्थापना **24 फरवरी, 1970** को की गई। यह राज्य में आवासों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए जा रहे नवाचार–

- अपनी दुकान अपना व्यवसाय–यह योजना 7 अक्टूबर, 2020 को प्रारम्भ की गई। इसमें निर्मित दुकानों को 25 प्रतिशत छूट के साथ विक्रय किया जा रहा है।
- **प्रताप नगर**, जयपुर में **कोचिंग हब** का विकास–70,000 छात्रों की क्षमता का होगा।
- **मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना** एवं **मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना**
- महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना (नायला, जयपुर)
- महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना बड़ली–जोधपुर
- विधायकों हेतु आवास–विधायकों हेतु 160 बहुमंजिला इकाइयां (जी+8) बनाए जा रहे हैं। (ज्योति नगर, जयपुर)
- मानसरोवर, जयपुर में 52.42 एकड़ भूमि पर **एशिया के सबसे** बड़े 'सिटी पार्क' का विकास किया जा रहा है।
- तिब्बती शरणार्थियों को मानसरोवर के झूलेलाल मार्केट में दुकानों का आवंटन–17 नवम्बर, 2021 को झूलेलाल तिब्बती मार्केट का शुभारम्भ किया गया।
- गुणवत्ता नियंत्रण हेतु **''सजग''** मोबाइल सेवा **22 अगस्त, 2020** को **विकसित की गई**।

नगर नियोजन विभाग–

- नगर नियोजन विभाग शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान एवं अन्य नगरीय योजनाएँ बनाकर नगरों के भौतिक विकास को दिशा एवं विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को तकनीकी सलाह देना है।
- मास्टर प्लान के तहत राज्य के कुल **211** नगरपालिका शहरों/कस्बों में से **184** नगरपालिका शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार किए जाकर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं।
- नगर नियोजन विभाग **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड** (अलवर व भरतपुर के लिए) की क्षेत्रीय योजना और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भी सहायता करता है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है–

- **दीनदयाल अन्त्योदय योजना**–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
- **शहरी जन-सहभागी योजना** (S.J.S.Y.)
- **छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढाँचे की विकास योजना** (U.I.D.S.S.M.T)
- **राजीव आवास योजना** (R.A.Y.)
- **राजस्थान अरबन डेवलपमेंट फण्ड** (R.U.D.F.)
- **सात सीवरेज परियोजनाएँ** (बाँसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना)
- **स्मार्ट सिटीज मिशन** (राजस्थान के **4 शहर–जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर**)
- **अमृत मिशन** (राज्य के 29 शहरों में)
- **स्वच्छ भारत मिशन** (शहरी)
- **इन्दिरा रसोई योजना** (₹8 प्रति प्लेट दोपहर/रात्रि भोजन की उपलब्धता)
- **शहरी गौरव पथ**
- **प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी)**
- **राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि।**

शहरी जल आपूर्ति–

- राजस्थान के सभी **222** शहरों एवं कस्बों को **पाइप पेयजल आपूर्ति प्रणाली** द्वारा कवर किया गया है।
- इन सभी शहर/कस्बों में से 28 प्रतिशत सतही जल स्रोत, 50 प्रतिशत शहर/कस्बे भूगर्भीय जल स्रोत पर आधारित हैं। शेष 42 प्रतिशत शहर सतही एवं भूगर्भीय, दोनों जल स्रोतों पर आधारित हैं।

9. बुनियादी सामाजिक सेवाएँ–शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत **शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण** को काफी महत्वपूर्ण माना गया है।

शिक्षा–

- शिक्षा के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में राज्य में **36,264** राजकीय प्राथमिक विद्यालय, **19,532** राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं **15,333** प्रारम्भिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।
- **डाईस रिपोर्ट, 2020-21** के अनुसार राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में **64.64 लाख विद्यार्थी** (प्राथमिक-42.13 लाख व उच्च प्राथमिक 22.51 लाख) एवं **2.66 लाख शिक्षक** (प्राथमिक 1.49 लाख व उच्च प्राथमिक 1.17 लाख) अध्ययनरत/कार्यरत थे।
- **माध्यमिक शिक्षा** में **2020-21** में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में **25.59 लाख विद्यार्थी** एवं **1.34 लाख शिक्षक** थे।
- राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में चलायी जा रही विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम/समारोह
  - **नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना।**
  - **राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल** की स्थापना 01 जनवरी 1974 को की गयी।
  - **विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना**–यह योजना राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के **कक्षा-1 से 8** तक विद्यार्थियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है।
  - **प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति**–एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
  - **विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्बल योजना**–इस योजना के अन्तर्गत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में **दो वर्षीय डिप्लोमा** इन अर्ली एजुकेशन (डी.एल.ए.डी.) का अध्ययन करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को **₹9,000 की प्रतिपूर्ति** प्रदान की जा रही है।
  - **भामाशाह सम्मान समारोह**–यह योजना **1 जनवरी, 1995** से स्कूल के शैक्षिक, सह-शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान करने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
  - **स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम**–इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।
  - **समग्र शिक्षा**–समग्र शिक्षा समयबद्ध तरीके से प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। समग्र योजना में केन्द्र व राज्य की वित्त सहभागिता **60:40** है।
  - **नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009**–नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में दिनांक **1 अप्रैल, 2010** से लागू किया गया है। इस अधिनियम में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों/बालिकाओं के लिए **25 प्रतिशत** सीटें आरक्षित हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा **₹1.00** लाख से बढ़ाकर **₹2.50 लाख** की गई है।
  - **शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 'पहल' के अन्तर्गत–**

    (1) **316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** (के.जी.बी.वी.) संचालित हैं।

संजीव प्रकाशन

(2) राज्य में **10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय** संचालित हैं।

- **किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत–**
  (1) **मीना**, **राजू** एवं **गार्गी** मंच, अध्यापिका मंच, शैक्षणिक किशोरी मेला।
- **बालिका शिक्षा हेतु नवाचार**–रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण ''**सक्षम**''
- सुरक्षित विद्यालय वातावरण का निर्माण
- ऑनलाईन सेफ्टी एवं डिजिटल लर्निंग कौशल
- जेण्डर ऑडिट
- **उत्कृष्ट विद्यालय योजना** (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय)
- **आदर्श विद्यालय**–राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर 9,886 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों और शहरी क्षेत्रों में 289 विद्यालयों सहित कुल 10,175 विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। इन्हें ''**आदर्श विद्यालय**'' के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- **मॉडल विद्यालय**–राज्य के **186** आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में से 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित हैं।
- **स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण)**–राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के स्कूलों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित बुनियादी जानकारी एवं सांख्यिकीय समंक एकत्र करने के लिए **स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एस.एम.आई.एस.)** लागू की गई है।
- **शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम**–शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु गतिविधियाँ**–कक्षा **1 से 12** तक के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली विकसित की गई है।
- **सामुदायिक गतिशीलता** के अन्तर्गत एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण में राज्य के राजकीय विद्यालयों में एसएमसी/एसडीएमसी (5 अभिभावक सदस्यों व प्रत्येक विद्यालय में 1 जन प्रतिनिधि) को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** (आईसीटी योजना) के अन्तर्गत क्लिक योजना, दीक्षा राईज पोर्टल, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (R.A.A.) चलाये जा रहे हैं।
- वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से **कक्षा 1 से 8** तक के छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट सुविधाएँ, **कक्षा 9 से 12** तक की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान, कम्पोजिट स्कूल अनुदान, ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान, संकुल सन्दर्भ केन्द्र अनुदान आदि दिए जा रहे हैं।
- **स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर**–प्रारम्भिक शिक्षा हेतु वर्ष **2021-22** में **₹238.01 करोड़** की मंजूरी दी गयी है। दिसम्बर, 2021 तक ₹67.94 करोड़ (प्रबंध पोर्टल के अनुसार) का व्यय किया गया है। **माध्यमिक शिक्षा** को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष **2021-22** में **₹524.41 करोड़** का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2021 तक ₹81.86 करोड़ (प्रबंध पोर्टल के अनुसार) का व्यय किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा–

- **माध्यमिक शिक्षा** के अन्तर्गत **15,449** राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें से **474** माध्यमिक एवं **766** उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए चल रहे हैं और इनमें से 128 विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की तुलना में सत्र 2021-22 में 17.41 प्रतिशत लगभग **8.97 लाख नामांकन की वृद्धि** हुई है।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय–

- सत्र **2021-22** में **631** उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा **240** माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।
- राजकीय विद्यालयों में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से **₹27.96 करोड़** के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- वर्ष **2020-21** में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित **कक्षा-12** की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली **134** स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की **1,016** बालिकाओं को इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया।
- वर्ष **2021-22** में राजस्थान राज्य ने इन्सपायर अवार्ड मानक योजना के अन्तर्गत कुल **10,019** बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- राज्य में कुल **551** (सत्र 2019-20 में 33 विद्यालय, सत्र **2020-21** में **172** विद्यालय एवं सत्र **2021-22** में **346** विद्यालय) **महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय** (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हैं।
- राजस्थान माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों, कक्षा-9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जनजाति के छात्रों, उन छात्रों को, जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं एवं राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में कक्षा-6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवायी जा रही हैं।
- **नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना**–वित्तीय वर्ष **2021-22** में (शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 की) पात्र छात्राओं को 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 4,20,081 साईकिलों का वितरण किया जा चुका है।
- **काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना**–इस योजना के अन्तर्गत ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से हैं तथा कक्षा **10वीं**, **12वीं** की परीक्षा में उन्होंने **85 प्रतिशत** से अधिक अंक प्राप्त किये हैं, स्कूटी के लिए पात्र हैं।
- **नो बैग डे**–विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को शिक्षा मनोविज्ञान आधारित गतिविधियों हेतु 'नो बैग डे' मनाया जाता है।
- **ई-कक्षा**–कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर विद्यार्थियों

को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए अनूठी पहल की गई है।

शिक्षा विभाग की योजनाओं पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के प्रयास–

- **अप्रैल 2021** से स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **कक्षा 1 से 8 तक** के सभी विद्यार्थियों को कार्य-पुस्तिकाएं वितरित की गईं।
- मिड-डे-मील के कोम्बो पैकेट दिये गए।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा–

- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के माध्यम से **8869 महात्मा गांधी पुस्तकालयों** को बढ़ाकर 14,970 किया जाएगा।
- **महिला शिक्षण विहार** 15-30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए दसवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। वर्तमान में यह शिक्षण विहार कार्यक्रम **झालावाड़** में चलाया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी **33 जिलों** के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्वित योजना **''पढ़ना लिखना अभियान''** लागू किया गया है।
- नवाचार के अन्तर्गत **परिवार साक्षरता, निरक्षर महिलाओं की विशेष कक्षाएं, RKCL का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम** तथा इच वन टीच वन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा–

- राज्य में दिसम्बर, 2021 तक **356** राजकीय महाविद्यालय, **16** राजकीय विधि महाविद्यालय, **2033** निजी महाविद्यालय, **2** स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा **6** निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय सहित कुल **2413** महाविद्यालय हैं। राज्य में **1479** शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, **28** राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, **52** निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं। तथा **8** डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वर्ष **2021-22** में इनमें बढ़ोतरी हुई है।

संस्कृत शिक्षा–

- राजस्थान में **1958** ई. से एक पृथक संस्कृत निदेशालय कार्यरत है। वर्ष **1998** में राज्य में एक **संस्कृत विश्वविद्यालय** की स्थापना जयपुर में हुई है। 27 जून, 2005 को इसका नामकरण **'जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर'** किया गया।
- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा **'केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय'** के जयपुर परिसर की स्थापना वर्ष **1983** में हुयी।
- राज्य में वर्ष **2021-22** में **दिसम्बर, 2021** तक संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर संस्थानों में **1.98 लाख विद्यार्थी** एवं **2203 संस्थाएँ** (1801 राजकीय व 402 निजी) हैं। **15** डी.एल.एड. एवं **82** शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय संचालित हैं।
- **राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान**–राज्य में ''राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान'' (SSIERT) **महापुरा, जयपुर** में संचालित है। इसके द्वारा गार्गी पुरस्कार, इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, लैपटॉप वितरण, आपकी बेटी योजना आदि चलायी जा रही है।

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग–

- हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए **भाषा और पुस्तकालय विभाग** की स्थापना की गई है। राज्य में वर्तमान में **323 पुस्तकालय** हैं जिनमें **एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय**, (डॉ. राधाकृष्णन् केन्द्रीय पुस्तकालय, जयपुर) **07** सम्भाग स्तरीय पुस्तकालय, **33** जिला स्तरीय पुस्तकालय, **06** पंचायत समिति स्तरीय पुस्तकालय (भाषा और पुस्तकालय विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में), 276 पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालय (माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) संचालित हैं।
- भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित **47** पुस्तकालयों में वर्तमान में कुल **21.76 लाख पुस्तकें** उपलब्ध हैं।

तकनीकी शिक्षा–

- तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष **2021-22** में दिसम्बर 2021 तक अभियान्त्रिकी की शिक्षा देने वाले **87** (1 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त, 17 विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज, तथा 69 निजी गैर सहायता प्राप्त), **133** पोलिटेक्निक (41 राजकीय सहशिक्षा एवं 8 राजकीय महिला, 84 निजी), **1776** औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) (273 राजकीय, 1503 निजी) में शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **दस्तकार प्रशिक्षण योजना** (सीटीएस) के अन्तर्गत **51** अभियांत्रिकी व **42** गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में एक से **दो वर्ष** की अवधि के लिए **व्यावसायिक प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा–

- चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में **31 दिसम्बर, 2021** तक **26** मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें से **6** राजकीय, एक झालावाड़ हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, **07** राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, एक ई.एस.आई. कॉलेज, अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व 9 निजी क्षेत्र में संचालित हैं।
- राज्य में **16** दन्त चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से **01** राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज व **15** निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य–

- राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा संस्थाओं का संरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर एक सुनियोजित तरीके से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।
- राजस्थान में चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत **31 दिसम्बर, 2021** तक 129 चिकित्सालय, 693 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2170 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), 190 औषधालय (डिस्पेंसरी), 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(शहरी), 14423 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 57030 शय्याएँ (स्वास्थ्य महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त शय्याएँ) हैं।

- एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत **31 दिसम्बर, 2021** तक 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) तथा 390 शय्याएँ हैं।
- **वर्ष 2021-22 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्न गतिविधियाँ की गईं–**
  - राज्य में **निरोगी राजस्थान अभियान**, स्वास्थ्य मित्र, **जनता क्लिनिक, मुख्यमन्त्री निःशुल्क दवा योजना**, मुख्यमन्त्री निःशुल्क जाँच योजना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक-निजी सहभागिता, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, वर्ष 2021-22 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियों में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम एवं समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
- **कोविड-19 की रोकथाम** के लिए प्रभावी प्रबंधन किया गया जिसके तहत राज्य में महामारी से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव, नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय, घर-घर सर्वे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, उपचार, जांच (संपर्क ट्रेसिंग) और सूचना का प्रसार किया गया।
- राज्य में **2 मार्च, 2020** को **कोविड-19** का पहला केस जयपुर में (इटली का नागरिक) पाया गया। **जनवरी, 2021** से **दिसम्बर 2021** तक राज्य में कुल **6,47,984** कोविड संक्रमित रोगी पाए गए। जिला कलेक्टर को कोविड-19 हेतु जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है, **राजस्थान महामारी अधिनियम-1957** के अन्तर्गत कोविड-19 को अधिसूचित रोगों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना–

- राजस्थान में **1 मई, 2021** को **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना** (एमएमसीएसबीवाई) शुरू की गई है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य की आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। इस योजना के तहत **एनएफएसए, एसईसीसी के परिवारों, छोटे** और **सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों** और **कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों** को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया है।
- शेष **सामान्य आबादी** प्रति परिवार प्रति वर्ष **₹850** की राशि का भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकती है जो कि सरकार की प्रीमियम लागत का 50 प्रतिशत (रु. 850) है। **शेष 50 प्रतिशत** (₹850) **राज्य सरकार वहन** कर रही है।
- इसमें **प्रति परिवार** प्रति वर्ष ₹50,000 (सामान्य बीमारियों के लिए) **प्रीमियम राशि** तथा **₹4.50 लाख** (गंभीर बीमारियों के लिए) का **स्वास्थ्य बीमा** कवर प्रदान किया जाता है।
- इसके अन्तर्गत **कुल 1,597 रोग पैकेज** है, जिसमें **465** द्वितीयक पैकेज और **1,132** तृतीयक पैकेज शामिल हैं। कुल पैकेज में से **51** पैकेज राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित हैं। इस योजना के अन्तर्गत **634** निजी व **788** सरकारी पैनलबद्ध चिकित्सालय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- पैनल में सम्मिलित अस्पतालों में **कैशलेस आई.पी.डी. चिकित्सा सुविधाएं** प्रदान की जाती हैं।
- अस्पताल में भर्ती होने के **5 दिन पूर्व** एवं **15 दिवस पश्चात्** का **खर्च इसमें शामिल** है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होने के लिए **उम्र, आय** और **परिवार सीमा** का कोई प्रतिबंध नहीं है।
- वर्तमान में लगभग **1.33 करोड़ परिवार** इसमें पंजीकृत हैं।
- **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना** के तहत **1 मई, 2021** से 31 दिसम्बर, 2021 तक 11,68,283 दावों पर ₹785.33 करोड़ व्यय किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पूर्व राज्य में **''आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना''** का नवीन चरण 30 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ किया गया था।
- आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत **30 जनवरी, 2021** से 30 अप्रैल, 2021 तक 1,39,678 दावों पर ₹110.11 करोड़ खर्च किए गए हैं।

आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ–

- राज्य में **122 आयुर्वेद चिकित्सालय** जिसमें एक बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में स्थापित है व **3** योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, 3578 आयुर्वेदिक औषधालय तथा **3** योग एवं प्राकृतिक औषधालय, एक शल्य चल चिकित्सा इकाई और **13** चल चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं।
- **कोविड-19** महामारी के कारण, **21 जून, 2021** को सम्पूर्ण राज्य में **''स्वास्थ्य के लिये योग''** विषय पर घरों में **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** का ऑनलाइन आयोजन किया गया।
- **राज्य आयुष नीति-2021** को मंजूरी दी गई और **आयुर्वेद औषध निर्देशिका-2021** जारी की गई।
- राजस्थान में राज्य आयुष सोसायटी का गठन **मार्च, 2015** में किया गया था।
- वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत राज्य में **6** चिकित्सालय, **186** औषधालय, **61** एकल डॉक्टर इकाई (5 जिला अस्पताल, **30** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, **26** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) तथा **2** मोबाइल इकाईयां कार्यरत हैं।
- वर्तमान में **यूनानी चिकित्सा पद्धति** के अन्तर्गत राज्य में **11** चिकित्सालय, **67** ग्रामीण व **195** शहरी औषधालय इकाइयां कार्यरत हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.)

- इस योजना के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों, निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत **श्रमिकों/कर्मचारियों** एवं उनके **आश्रित परिवारजनों** को **चिकित्सा सुविधा** उपलब्ध करवायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत उपरोक्त से संबंधित संस्थानों में जहाँ **10 या अधिक** कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनकी ऊपरी वेतन सीमा **₹21,000 प्रतिमाह** तक है, उन्हें परिवार सहित चिकित्सा सुविधा लाभ दिया जाता है।

- इसमें अंशदान के रूप में वेतन का **3.25 प्रतिशत योगदान नियोक्ता द्वारा** और **कर्मचारी द्वारा 0.75 प्रतिशत** कुल **4 प्रतिशत** योगदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम को भुगतान किया जाता है।
- वर्तमान में **4** चिकित्सालय (जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा एवं पाली) तथा **74** औषधालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

परिवार कल्याण–

- परिवार कल्याण हेतु वर्ष **2021–22** (दिसम्बर, 2021 तक अनुमानित) में 1,47,329 नसबंदी ऑपरेशन में से 72,567 (दो बच्चों पर) किए गए व 4,06,085 लूप व 1,95,981 पी.पी.आई. लूप लगाई गई।
- वर्तमान में राज्य में **मातृ मृत्यु अनुपात 164 प्रति लाख जीवित जन्म** (एस.आर.एस.–2016–18) तथा **शिशु मृत्यु 35 प्रति हजार जीवित जन्म** (एस.आर.एस. 2018) है। इसमें कमी लाने हेतु **टीकाकरण** किया जा रहा है जिसमें दिसम्बर, 2021 तक पेन्टा–3 टीकाकारण 9.26 लाख, बी.सी.जी. टीकाकरण 9.75 लाख, खसरा–1 टीकाकरण 10.58 लाख, टिटनेस इंजेक्शन (गर्भवती महिला) टी.डी. 10.71 लाख एवं ओ.पी.वी.–3 9.24 लाख कर उपलब्धि हासिल की गई है।
- **कोविड वैक्सीनेशन** के अन्तर्गत प्रदेश में टीकाकरण का पहला चरण **16 जनवरी, 2021** से शुरू किया गया था। जिसमें **31 दिसंबर, 2021** तक कुल **8.16 करोड़** कोविड वैक्सीन से पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है।
- राज्य में शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान **उच्च मातृ मृत्यु दर** को कम करने के लिए **''राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना''** संचालित की जा रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएँ भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- राजस्थान में **22 जुलाई, 2019** से **''खसरा-रूबेला अभियान''** शुरू किया गया था, जिसमें राज्य के 9 माह से 15 वर्ष आयुवर्ग तक के सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)–

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)** व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय और विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली के स्तरों पर नियमित रूप से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों को सुनियोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास है। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)** के उप मिशन के रूप में **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)** और **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)** काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) के अन्तर्गत निम्न उपलब्धियाँ गतिविधियाँ संचालित हैं–

- **आशा सहयोगिनी :** प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त कर **चिकित्सा स्वास्थ्य** तथा **महिला एवं बाल विकास विभाग** दोनों की संयुक्त कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। **दिसम्बर, 2021** तक राज्य में कुल **52,772** आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (R.B.S.K.) :** योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों तथा राजकीय मदरसों पर **18 वर्ष तक** के सभी बच्चों की **Four D's**-Defects at birth-Disease, Deficiencies, Development Delays and Disabilities (**40 चिह्नित बीमारियों**) जांच एक समर्पित **मोबाइल (चल) स्वास्थ्य दल** के माध्यम से की जा रही है।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (R.K.S.K.)** के अन्तर्गत राज्य के 10 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बून्दी, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालौर) में **किशोरों के स्वास्थ्य** में सुधार के लिए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत **314 किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लीनिक–''उजाला क्लीनिक''** स्थापित किए गए हैं।
- राज्य में 600 **जननी एक्सप्रेस** वाहन रैफरल ट्रांसपोर्ट सेवा को सुदृढ़ करने के तहत संचालित हैं। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 33,215 **गर्भवती महिलाओं** को घर से अस्पताल एवं 2,79,876 को अस्पताल से घर तक एवं 18,013 **नसबंदी केसेज** को जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान किया गया है।
- राज्य में **'108' टोल फ्री एम्बुलेन्स सेवा योजना** की शुरुआत **सितम्बर, 2008** में हुई। यह राज्य के लोगों के लिए **निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं** उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में **845 एम्बुलेंस**, राज्य के सभी जिलों में कार्यरत हैं।
- **ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (V.H.S.C.)** के अन्तर्गत **43,440 गाँवों** में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों में आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एन.जी.ओ., एस.एच.जी. तथा महिला स्वास्थ्य संघ के प्रतिनिधि हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार–

मोबाइल ओपीडी–

- वर्तमान में राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य संस्थानों और सुविधाओं की कमी है, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए **N.H.M.** के तहत **210** वाहनों के माध्यम से मोबाइल मेडिकल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- वर्तमान में **295** मोबाइल ओपीडी वाहन सम्बन्धित **उप जिला मजिस्ट्रेट** एवं **खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी** की देखरेख में चल रहे हैं।
- वर्ष **2021–22** (दिसम्बर, 2021 तक) में मोबाइल ओपीडी वाहनों के माध्यम से कुल 23,18,156 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

टेलीकन्सलटेशन (ई-संजीवनी) सेवा

- इस को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और सी–डैक मोहाली/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजायन और विकसित किया गया है। esanjeevaniopd.in पोर्टल को राजस्थान सरकार द्वारा **04 मई, 2020** को लॉन्च किया गया। राजस्थान में **13 अप्रैल, 2020** से टेलिमेडिसिन के स्थान पर e-Sanjeevani Tele Consultation को आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **दिसम्बर, 2021** तक कुल **88,700 टेलिकन्सलटेशन** आयोजित किए गए हैं।

राजस्थान के जनसांख्यिकीय संकेतक : 2011–2035 (अनुमानित)

संकेतक	**2011-15**	**2016-20**	**2021-25**	**2026-30**	**2031-35**
जनसंख्या वृद्धि दर	16.0	13.1	**10.7**	8.3	7.6
अशोधित जन्म दर (सीबाआर)	24.3	21.4	**18.8**	16.5	14.9
अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर)	7.8	7.7	**7.5**	7.6	6.8
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)	53	49	**44**	40	36
अंडर-5 मृत्यु दर (क्यू 5)	73	67	**60**	55	50
कुल प्रजनन दर (टीएफआर)	2.95	2.51	**2.20**	1.99	1.87
जीवन प्रत्याशा (पुरुष)	65.70	67.20	**68.70**	69.70	70.70
जीवन प्रत्याशा (महिला)	70.40	71.60	**72.80**	73.80	74.80

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी।

10. अन्य सामाजिक सेवाएँ/कार्यक्रम

- राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने और समुदायों में समानता और अवसर को बढ़ावा देने में मदद करना है।

जलापूर्ति–

- जलापूर्ति में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में राज्य में **1 अप्रेल, 2020** की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,877 बस्तियों/ढाणियों में से 53,062 पूर्ण रूप से, 56,636 आंशिक रूप से बस्तियों/ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
- 15 अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष **2024** तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाना है।
- **जल जीवन मिशन (J.J.M.)** के अन्तर्गत 31 मार्च, 2021 तक 19.57 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन और 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) 2.54 लाख नये नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

मिड-डे मील योजना (M.D.M.S.)–

- राज्य के **67,159 सरकारी विद्यालयों** और **संस्थानों** में मिड–डे–मील कार्यक्रम लागू है।
- इसमें कक्षा **1-8 तक** पढ़ने वाले लगभग **60.80 लाख** (कक्षा 1 से 5 में 39.36 लाख और कक्षा 6 से 8 में 21.44 लाख) विद्यार्थी शामिल हैं।
- **मिड–डे मील योजना**–इस योजना के तहत **कक्षा 1–5** तक के लिए **100 ग्राम प्रतिदिन** (गेहूँ/चावल) और **कक्षा 6 से 8** के लिए **150 ग्राम प्रतिदिन** (गेहूँ/चावल) प्रदान किया जा रहा है।
  - **कक्षा–1 से 5** के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी **₹4.97 प्रतिदिन** और **कक्षा–6 से 8** के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी **₹7.45 प्रतिदिन** देय है।
  - वर्ष **2021–22** (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान, मिड–डे–मील योजना के तहत बजट प्रावधान ₹1,061.95 करोड़ के विरुद्ध **₹961.15 करोड़** का व्यय किया गया है।
  - **14 मार्च, 2020** से **कोविड–19** के कारण स्कूलों के बन्द होने व शिक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में दाल, तेल, मसाले और सूखे राशन (गेहूं/चावल) के कॉम्बो पैकेट वितरित किये जा रहे हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)–

- राज्य के **बच्चों** एवं **महिलाओं** को बेहतर जीवन हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में **2 अक्टूबर, 1975** को **बांसवाड़ा** जिले की **गढ़ी** पंचायत समिति में **समेकित सेवाएं** प्रारम्भ की गई।
- समेकित बाल विकास सेवाएं (I.C.D.S.) के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में **304 बाल विकास परियोजनाएं** संचालित है।

- इनमें **22** शहरी, **37** जनजाति क्षेत्रों में तथा शेष **245** परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है।
- इनके अन्तर्गत राज्य में कुल **62020 आँगनबाड़ी केन्द्र** स्वीकृत हैं, जिनमें से **55816** मुख्य एवं **6204** मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र हैं। इनमें से दिसम्बर, 2021 तक 55,671 मुख्य एवं 5,954 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र क्रियाशील हैं।
- राज्य में **53,394 आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता**, 5834 मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, 52,983 सहायिकाएं और 52087 आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता हैं।

आई.सी.डी.एस. की प्रमुख योजनाएँ, कार्यक्रम–

- प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना
- किशोरियों के लिए योजना (S.A.G.) : 1 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ।
- पोषण अभियान
- महिला कल्याण कोष
- इन्दिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना : 19 नवम्बर, 2020 से प्रारम्भ।
- नन्द घर योजना।

बाल अधिकारिता–

- बाल अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु वर्ष **2013** में राज्य में पृथक से **बाल अधिकारिता विभाग** की स्थापना की गई।
- इस विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है–

बाल संरक्षण योजना (C.P.S.)–

- इस योजना का उद्देश्य देश में बालकों-बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करना है।

कामकाजी महिलाओं हेतु नेशनल क्रेच स्कीम–

- इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों (आयुवर्ग-6 माह से 6 वर्ष तक) को **डे-केयर सुविधा** प्रदान करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S.)–

- राज्य में गरीब व जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया है।
- इसमें **उचित मूल्यों की दुकानों** के नेटवर्क के माध्यम से **आवश्यक खाद्य वस्तुओं** का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (P.D.S.) के अन्तर्गत निम्न योजनाएं/ कार्यक्रम है–
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
  - वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
  - सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा
  - 'गेहूँ के हर दाने पर नजर' के लिए जी.ए.आर.डी.एस. (अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली)
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं धान की खरीद
  - उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (POS) मशीनों की स्थापना

उपभोक्ता मामलात् विभाग–

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम **2019** के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में कुल **37** जिला मंच एवं **7** सर्किट बैंच (सम्भागीय मुख्यालय) कार्यरत हैं।
- **दिसम्बर, 2021** तक राज्य आयोग एवं जिला मंचों में में 5,77,891 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 5,26,293 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है।
- राज्य स्तरीय **उपभोक्ता हेल्पलाइन** (1800-180-6030) का संचालन **मार्च, 2011** से किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (R.S.F.C.S.C.L.)–

- इसकी स्थापना वर्ष **2010** में की गई। यह **चीनी वितरण** के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक नोडल एजेन्सी है। राज्य में **अन्त्योदय परिवारों** को प्रतिमाह 1 किलोग्राम चीनी **₹18 प्रति किलो** (G.S.T. सहित) प्रति राशनकार्ड/प्रति परिवार के अनुसार वितरित की जा रही है।
- वर्ष **2021-22** में निगम द्वारा **गेहूँ, दाल, चीनी, चावल, साबुत चना** और **राजब्राण्ड चाय** व **नमक** की आपूर्ति भी की गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता–

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, छात्रावास सुविधा, मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना** एवं **आवासीय विद्यालयों** का संचालन किया जा रहा है।
- **सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत–**
  - **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** पर वर्ष 2021-22 में (दिसम्बर, 2021 तक) लाभान्वितों की संख्या 822785 रही तथा ₹22660.20 लाख व्यय किए गए।
  - **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना** पर वर्ष **2021-22** में (दिसम्बर, 2021 तक) लाभान्वितों की संख्या 25,554 रही तथा ₹829.36 लाख व्यय किए गए।
  - **मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना** पर वर्ष **2021-22** (दिसम्बर, 2021 तक) में लाभान्वितों की संख्या 1695629 रही तथा ₹195039.34 लाख व्यय किए गए।
  - **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** पर वर्ष **2021-22** में (दिसम्बर, 2021 तक) लाभान्वितों की संख्या 3,78,486 रहीं एवं ₹14,418.93 लाख व्यय किए गए।
  - **मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना** पर वर्ष **2021-22** (दिसम्बर, 2021 तक) में लाभान्वितों की संख्या 5230324 रही तथा ₹467628.20 लाख व्यय किए गए।

संजीव प्रकाशन

- **मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना** पर वर्ष **2021–22** (दिसम्बर, 2021 तक) में लाभान्वितों की संख्या 5,90,547 रहीं एवं ₹51,946.33 लाख व्यय किए गए।
- **लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना** पर वर्ष **2021–22** (दिसम्बर, 2021 तक) में लाभान्वितों की संख्या 2,62,374 रही एवं ₹22,332.23 लाख व्यय किए गए।
- **पालनहार योजनान्तर्गत** वर्ष **2021–22** (दिसम्बर, 2021 तक) में लाभान्वित बच्चों की संख्या 5,24,189 रहीं एवं 45,605.69 लाख व्यय किए गए।
- **मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनान्तर्गत** वर्ष **2021–22** में (दिसम्बर, 2021 तक) में लाभान्वितों की संख्या 155 रही एवं ₹35.91 लाख व्यय किए गए।
- **डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना** के अन्तर्गत **₹5 लाख प्रति युगल** स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसमें वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) में 364 जोड़े लाभान्वित हुए और ₹1,820 लाख व्यय किए गए।
- **सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदन** की स्थापना राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा और जीवनयापन के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर की है।
- **अन्त्येष्टि अनुदान योजना** के तहत लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को **₹5000** दिये जाते हैं।
- **वृद्ध कल्याण योजना** के अन्तर्गत इन केन्द्रों में मुफ्त आवास, भोजन, चाय, नाश्ता, मनोरंजन, आवश्यक दैनिक उपयोग की सुविधाएं आदि प्रदान करके वृद्धावस्था पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में, राज्य के **22 जिलों** में सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कुल **42 वृद्धाश्रम** संचालित किए जा रहे है।
- **नवजीवन योजना** के अन्तर्गत अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं बिक्री में परम्परागत रूप से कार्यशील जातियों के व्यक्तियों को वैकल्पिक अवसर, बुनियादी सुविधाएँ, शिक्षा इत्यादि प्रदान की जाती है।
- **विधवा विवाह उपहार योजना** के अन्तर्गत पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप दी जाने वाली राशि ₹15,000 को वित्तीय वर्ष 2016–17 में इसे बढ़ाकर ₹30,000, वर्ष 2019–20 में पुन: बढ़ाकर ₹51,000 दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- **उज्जवला योजना–देह व्यापार** में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने और इनका पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है।
- **स्वाधार गृह योजना** में विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान किया जाता है उनका पुनर्वास किया जाता है।
- **मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना : 25 जून 2021** से राज्य में संचालित की गई इस योजना के अन्तर्गत **कोविड-19** के प्रभाव से प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में **₹1 लाख** की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक **₹2,500 प्रतिमाह** एवं **₹2,000 वार्षिक** देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर **₹5 लाख** की सहायता राशि एवं अन्य सुविधाएं देय है।
- इस योजनान्तर्गत विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1500 प्रतिमाह पेंशन एवं विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय है।
- इस योजना के अंतर्गत **दिसम्बर, 2021** तक ₹10,838 लाख व्यय कर 15,311 बच्चों/विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
- **गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना** के अन्तर्गत गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा **ग्रामीण क्षेत्र** में **150 वर्गगज** एवं **शहरी क्षेत्र** में **50 वर्गगज** भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। गाड़िया लोहार परिवारों को स्वयं का भूखण्ड होने पर तीन किश्तों में कुल **₹70,000** (₹25000, ₹25,000 और ₹20,000) भवन निर्माण हेतु देने का प्रावधान है।
- **गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना** के अन्तर्गत गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में राशि **₹5,000** दिये जाने का प्रावधान है।

विशेष योग्यजन–

- राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याण हेतु वर्ष 2011 में पृथक से एक विभाग की स्थापना की गई है। विशेष योग्यजनों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा कई योजनाओं को लागू किया गया है जिसमें निम्न प्रमुख हैं–
  - **विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना**
  - **मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना**
  - **सुखद दाम्पत्य योजना**
  - **कृत्रिम अंग/उपकरण लगवाने हेतु आर्थिक सहायता**
  - **सिलिकॉसिस पॉलिसी**
  - **आस्था योजना**
  - **राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018**
  - **पदोन्नति में आरक्षण–21 अक्टूबर, 2021** से **4 प्रतिशत** देय।
  - अन्य योजनाओं में–पोलियो करेक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजना, विशेष योग्यजनों हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं, राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता इत्यादि है।

संजीव प्रकाशन

अल्पसंख्यक मामलात विभाग–

- अल्पसंख्यक समुदाय को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और उनके स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा पृथक से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग कार्यक्रमों/योजनाओं में निम्न हैं–

- **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** (पी.एम.एम.)
- **मैरिट कम मीन्स** (एम.सी.एम.) **छात्रवृत्ति योजना**
- **अनुप्रति योजना/मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना**
- **छात्रावास सुविधा**
- **प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम** (पी.एम.जे.वी.के.),
- **अल्पसंख्यकों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण**
- **स्वरोजगार एवं शिक्षा के लिए ऋण** आदि का लाभ दिलाया जा रहा है।

मदरसा बोर्ड–

- **मदरसा बोर्ड** द्वारा कार्यक्रम/योजनाओं में **मदरसा आधुनिकीकरण योजना** के अन्तर्गत वर्ष **2021-22** में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों के आधुनिकीकण के लिए **₹25 करोड़** की घोषणा की गई।

अनुसूचित जाति (S.C.) एवं अनुसूचित जनजाति उत्थान–

- **राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.** (**अनुजा निगम, 28 मार्च, 1980** को स्थापित) : राज्य के एस.सी.-एस.टी. वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के उत्थान हेतु स्थापित।

जनजाति क्षेत्रीय विकास (T.A.D.)–

- राज्य में वर्ष **1975** में **टी.ए.डी. विभाग** की स्थापना **अनुसूचित जनजातियों** के अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं समग्र विकास हेतु स्थापित।
- जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु वर्ष 2021–22 में ₹615.08 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक ₹298.97 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

महिला सशक्तिकरण–

- राज्य में **महिला सशक्तिकरण** को मजबूत करने के लिए **9314 ''साथिन''** (मानदेय प्राप्त महिला कार्यकर्त्ता) कार्य कर रही हैं।
- **महिला सशक्तिकरण** के अन्तर्गत कार्यक्रम/योजनाओं में **वर्ष 2021-22** में (दिसम्बर, 2021 तक)–
  - **महिला विकास कार्यक्रम** में **₹4,000 लाख** प्रावधान के विरुद्ध ₹2899.56 लाख व्यय किए गए।
  - **सामूहिक विवाह हेतु अनुदान** (सामूहिक विवाह योजना) में राज्य सरकार द्वारा प्रति जोड़ा ₹18000 अनुदान मिलता है।
  - **इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना** का **19 दिसम्बर, 2021** को मुख्यमंत्री ने शुभारम्भ किया। इसके आधार पर लड़कियों और महिलाओं को **सैनिटरी नैपकिन** उपलब्ध कराए जायेंगे। इस योजना के तहत प्रस्तावित बजट **₹200 करोड़** रखा गया है।
  - **मुख्यमंत्री राजश्री योजना** जो **जून, 2016** के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है, पर **₹300** करोड़ के विरुद्ध ₹200 करोड़ व्यय किए गए।
  - **'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'** योजना पर **₹25.60** लाख के विरुद्ध ₹6.09 लाख व्यय किए गए।
  - इसके अलावा महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु **महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (MSSK) 181 महिला हेल्पलाइन**, वन स्टॉप सेन्टर/**सखी केन्द्र, इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र योजना, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न** (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से **संरक्षण अधिनियम, 2013, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015** एवं **नियम, 2016**, त्रि–स्तरीय महिला समाधान समिति इत्यादि।
  - **जेण्डर प्रकोष्ठ** - जेण्डर बजट एवं सांख्यिकी हेतु।
  - **अमृता हाट** - स्वयं सहायता समूह के उत्पादों हेतु।
  - **इन्दिरा महिला शक्ति निधि** (आई.एम.शक्ति) : महिला कौशल विकास, बजट - ₹1,000 करोड़ **18 दिसम्बर, 2019** से प्रारंभ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006–

- बीस सूत्री कार्यक्रम वर्ष **1975** में प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष **1982, 1986** एवं वर्ष **2006** (1 अप्रैल, 2007) में पुनः संरचित किया गया।
- **बीस सूत्री कार्यक्रम** 2006 (1 अप्रैल, 2007 से लागू) के अन्तर्गत कुल **65** मॉनिटरिंग योग्य मदें सम्मिलित की गई हैं, इनमें से **15** मदों की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य सूत्र निम्न प्रकार हैं—
  - **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम** (मनरेगा) : सूत्र संख्या—01ए
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** (एन.आर.एल.एम.) : सूत्र संख्या—01एफ.01 I, II, III.
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** : सूत्र संख्या 05 ए 02
  - **ग्रामीण आवास—प्रधानमन्त्री आवास योजना** (पी.एम.ए. वाई.) : सूत्र संख्या—06ए01
  - **शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के आवास** : सूत्र संख्या—06बी01
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**—लक्षित जल सम्बन्धों की संख्या (एफ.एच.टी.सी.) : सूत्र संख्या—07ए05
  - **संस्थागत प्रसव** : सूत्र संख्या—08ई01
  - **अनुसूचित जाति उपयोजना** (एस.सी.एस.पी.) घटक के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) एवं

एन.एस.एफ.डी.सी. के रियायती ऋणों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता : सूत्र संख्या—10ए02

- **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति** के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या : सूत्र संख्या—10ए03
- **समेकित बाल विकास सेवाओं** (आई.सी.डी.एस.) का सार्वभौमीकरण : सूत्र संख्या—12ए01
- **आँगनबाड़ी केन्द्रों** का संचालन : सूत्र संख्या—12बी01
- **शहरी निर्धन परिवारों को सहायता** : सूत्र संख्या—14ए01
- **वृक्षारोपण** के तहत कवर किया गया क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि) : सूत्र संख्या—15ए01
- **बीज पौधरोपण** (सार्वजनिक एवं वन भूमि) : सूत्र संख्या—15ए02
- **ग्रामीण सड़कें**—पी.एम.जी.एस.वाई : सूत्र संख्या—17ए01
- **गाँवों का विद्युतीकरण** (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना) : सूत्र संख्या—18बी01
- **ऊर्जावान पम्पसेट** : सूत्र संख्या—18डी01

11. राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन

राजकोषीय प्रबंधन–

- **कोविड-19** महामारी के परिणामस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कमी आने के कारण इसका राज्य वित्त पर भी प्रभाव पड़ा।
- **राजस्व घाटा** उदय योजना रहित **₹44,002 करोड़** रहा जिसमें केन्द्र सरकार से कोविड़-19 प्रबंधन एवं सुधार हेतु अतिरिक्त ऋण ₹21301 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से जीएसटी अनुदान के स्थान पर अतिरिक्त ऋण ₹4604 करोड़ मिलने के बाद राजस्व घाटा (कोविड-19 रहित) 18097 करोड़ रहा।
- वास्तविक राजकोषीय घाटा वर्ष **2021-22** के संशोधित अनुमानों में अनुमानित ₹58,608 करोड़ के स्थान पर ₹59,375 करोड़ रहा, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.86 प्रतिशत है। संशोधित अनुमान **2020-21** में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 6.12 प्रतिशत अनुमानित किया गया था।
- राजकोषीय घाटे में केन्द्र सरकार से कोविड-19 एवं सुधार हेतु अतिरिक्त ऋण ₹21301 करोड़, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर अतिरिक्त ऋण ₹4604 करोड तथा पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त ऋण ₹1002 करोड़ को राजकोषीय घाटे में समायोजन करने पर राजकोषीय घाटा (कोविड-19 प्रभाव रहित) ₹32,468 करोड़ रहा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.20 प्रतिशत है जो वर्ष 2019-20 के राजकोषीय घाटे **₹37,654 करोड़ (3.77 प्रतिशत) से कम** है।
- वर्ष **2020-21** में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 4.14 प्रतिशत कमी हुई। इस कमी का मुख्य कारण गत वर्ष केन्द्रीय सहायता से **14.81 प्रतिशत** तथा केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि में **1.31 प्रतिशत** कम राशि प्राप्त होना रहा है।
- राज्य में कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष **2019-20** में **78.39 प्रतिशत** (उदय योजना सहित) की तुलना में वर्ष **2020-21** में **69.21 प्रतिशत** रहा है।
- वर्ष **2020-21** में योजनाओं पर व्यय **₹1,01,776 करोड़** हुआ जो कि गत वर्ष (उदय रहित) की तुलना में **14.43 प्रतिशत** अधिक है।
- वर्ष **2020-21** में **पूँजीगत परिव्यय** ₹15,270 करोड़ रहा जो कि गत वर्ष से **10.56 प्रतिशत अधिक** है।
- वर्ष 2019-20 के अन्त में कुल **राजकोषीय देनदारियाँ** ₹3,52,702 करोड़ थी, जिसमें ₹57,797 करोड़ की वृद्धि के साथ **31 मार्च, 2021** को यह **₹4,10,499 करोड़** हो गई। अत: वर्ष 2019-20 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में **16.39 प्रतिशत की वृद्धि** हुई। कोविड-19 रहित राजकोषीय देनदारियाँ (अतिरिक्त ऋण को) कम करने के पश्चात् राशि ₹3,83,592 करोड़ रही जो कि **राज्य सकल घरेलू उत्पाद** का **37.85 प्रतिशत** है।
- वर्ष **2020-21** में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात **305.64** प्रतिशत रहा। वर्ष 2020-21 के अन्त में राजकोषीय देनदारियाँ राज्य के स्वयं के राजस्व का **5.55 गुना** रही है। वर्ष **2020-21** में राजकोषीय देनदारियाँ राज्य सकल घरेलू उत्पाद का **40.51** प्रतिशत रही हैं।
- वर्ष **2020-21** में **₹44,002 करोड़** का **राजस्व घाटा** राज्य में रहा। वर्ष **2020-21** में राजकोषीय घाटा **₹59,375 करोड़** रहा, जो कि **राज्य सकल घरेलू उत्पाद** का **5.86 प्रतिशत** है। **राजकोषीय घाटा** वर्ष **2019-20** में **₹37,654 करोड़** था जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **3.77 प्रतिशत** था।
- पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं/स्कीमवार आय-व्ययक का अनुमोदित व्यय विवरण के अन्तर्गत वर्ष **2020-21** में स्कीमवार आय-व्ययक के अनन्तिम आंकड़ों में **अनुमोदित उद्व्यय ₹110200.82 करोड़** तथा वास्तविक व्यय **₹101924.97 करोड़** रहा।
- वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) में स्कीमवार आय-व्ययक अनुमान में अनुमोदित उदव्यय **₹132251.35 करोड़** तथा वास्तविक व्यय **₹88898.44 करोड़** रहा।
- वर्ष **2021-22** में **स्कीमवार परिव्यय** ₹132251.35 करोड़ रखा गया।
- स्कीमवार बजट के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में अनन्तिम व्यय ₹10192496.71 लाख था यह वर्ष **2021-22** (दिसम्बर, 2021 तक) में **₹8889843.78 लाख** रहा।

राजस्थान में स्कीमवार बजट परिव्यय का मदवार आवंटन 2021-22

क्र.सं.	मुख्य मद/क्षेत्र	राशि (करोड़ रु.)
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	9818.74
2.	ग्रामीण विकास	15935.19
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	65.42
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4002.65
5.	ऊर्जा (II)	18943.23
6.	उद्योग एवं खनिज	1196.15
7.	परिवहन	7941.39
8.	वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान	17.59
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं (I)	69026.26
10.	आर्थिक सेवाएं	1869.71
11.	सामान्य सेवाएं	3435.02
	योग	**132251.35**

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में राज्य में **11 बाह्य सहायतित परियोजनाएं** क्रियान्वित की जा रही थी।
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत अनुमानित ₹27196.37 करोड़ थी, जिसमें वर्ष 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) में ₹2039.82 करोड़ व्यय हुए तथा परियोजना प्रारम्भ से **दिसम्बर, 2021** तक कुल व्यय **₹13338.58 करोड़** हुआ।

कार्यान्वित/चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की परियोजनावार प्रगति का विवरण–

- **राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2 (आर.एफ.बी.पी.-II)**–जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (**जे.आई.सी.ए.**) से वित्त पोषित थी। इसकी **कुल लागत ₹1152.53 करोड़** निर्धारित की गई थी। यह परियोजना **अक्टूबर, 2011** से प्रभावी होकर **सितम्बर, 2021** में पूर्ण हो चुकी है।
- **राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना–नागौर**–जापान अन्तर्राष्ट्रीय को-ऑपरेशन एजेन्सी (**जे.आई.सी.ए.**) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की **लागत ₹2938 करोड़** है। यह परियोजना **जनवरी, 2013** से प्रभावी होकर **जनवरी, 2022** तक पूर्ण की जानी है।
- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्य विद्युत प्रसारण तन्त्र**–के.एफ.डब्ल्यू. फ्रेंकफर्ट एम. मेन, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित थी। इस परियोजना की लागत **₹1,018.30 करोड़** थी। यह परियोजना **अक्टूबर, 2015** से प्रभावी होकर **जून, 2021** में पूर्ण हो चुकी है।
- **राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम-आर.यू.एस. डी.पी. (आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण)–ए.डी.बी.** एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना की कुल लागत **610 मिलियन यू.एस. डॉलर (लगभग ₹3,672 करोड़)** है। परियोजना **नवम्बर, 2015** से चल रही है तथा **सितम्बर, 2020** तक पूर्ण की जानी थी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा **जून, 2022** तक इससे संबंधित शेष कार्य पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- **राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना–ए.डी.बी.** एशियन विकास बैंक (**ए.डी.बी.**) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की **कुल लागत ₹3,076 करोड़** है। यह परियोजना **जनवरी, 2021** से प्रभावी होकर **नवम्बर, 2027** तक पूर्ण की जायेगी।
- **राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम-1–ए.डी.बी.** एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत **₹2,452.36 करोड़** है। यह परियोजना **नवम्बर, 2017** से प्रारम्भ हो चुकी है एवं **मार्च, 2022** तक पूर्ण की जानी है।
- **राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट-2–ए.डी.बी.** एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत **₹2617.07 करोड़** है। यह परियोजना **दिसम्बर, 2019** से प्रारम्भ की जा चुकी है एवं **मार्च, 2024** तक पूर्ण की जानी है।
- **राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-2**–विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत **₹2996.70** करोड़ है। यह परियोजना **अक्टूबर, 2019** से क्रियान्वित की जाकर **मार्च, 2024** तक पूर्ण की जानी है।
- **राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना–** जे.आई.सी.ए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी **(जे.आई.सी.ए.)** द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत **₹2348.87 करोड़** है। यह परियोजना **अक्टूबर 2017** से चल रही है एवं **अक्टूबर 2024** तक पूर्ण की जानी है।
- **रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना–एन.डी.बी.** न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत **₹3,291.63 करोड़** है। यह परियोजना **मई, 2018** से चल रही है एवं **अगस्त, 2023** तक पूर्ण की जानी है।
- **राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना**–यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत **₹202.08 करोड़** है। यह परियोजना **जुलाई, 2018** से चल रही है एवं **मार्च, 2024** तक पूर्ण की जानी है।
- **द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना–विश्व बैंक** एवं एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट बैंक (**ए.आई.आई.बी.**) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। परियोजना की कुल

लागत **₹503.02 करोड़** (70.27 मिलियन यू एस डॉलर) है। यह परियोजना **अक्टूबर, 2021** से प्रभावी होकर **मार्च, 2027** तक पूर्ण की जानी है।

- **राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण**–जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (**जे.आई.सी.ए.**) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत **₹4,765.31 करोड़** है। यह परियोजना **जुलाई, 2021** से प्रभावी होकर **दिसंबर, 2024** तक पूर्ण की जानी है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता–

- राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं।

(i) संस्थागत व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार ने एक त्रि–स्तरीय ढांचा अपनाया है जिसमें निम्न हैं–

- **अनुमोदन समितियां**–इसमें काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स और स्विस चैलेंज का गठन किया गया है।
- **पीपीपी सैल (नोडल एजेंसी)**–वर्ष 2007-08 में आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में पीपीपी सैल का गठन किया गया। पीपीपी सैल, आयोजना विभाग के प्रभारी शासन सचिव के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है।
- **संबंधित प्रशासनिक विभाग/एजेंसी (कार्यकारी एजेंसी)**– यह अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनिस में यथा निर्धारित पीपीपी मोडैलिटी अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम हैं।

(ii) निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत–

- प्रोजेक्ट डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर) को पीपीपी मोड में बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए **दिसंबर 1997** में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया था।
- रोड इन्फ्रास्ट्रक्टचर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (रिडकोर) को राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्ष **2004** में विकसित किया गया।
- सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूसीआरएल) को भादला (जोधपुर) में **1,000 मेगावाट** के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष **2014** में विकसित किया गया।
- एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल) को जोधपुर और जैसलमेर में **750 मेगावाट** के सौर पार्कों के विकास के लिए वर्ष **2014** में विकसित किया गया।
- अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) को **जैसलमेर** और भड़ला (जोधपुर) में 2000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए **वर्ष 2015** में विकसित किया गया।

(iii) परियोजना विकास कोष (पीडीएफ) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए वर्ष **2003** में प्रारम्भ में **5 वर्षों** के लिए एक कोष बनाया गया था, जिसे बाद में 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया तथा वर्ष **2011** में राजस्थान आधारभूत संरचना परियोजना विकास कोष (आर.आई.पी.डी.एफ.) बनाया गया जो **18 जून 2015** से निष्प्रभावी/विघटित हो गया है।

(iv) सौदा सलाहकार सेवाएँ के अन्तर्गत **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013** के अन्तर्गत, प्राथमिकता के आधार पर निम्न में से किसी एक से परामर्शदात्री सेवाएं लेने का प्रावधान है–

- राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम
- वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
- नेबकॉन, नाबार्ड के पूर्णरूपेण स्वामित्व वाला एक समनुषंगी।
- राईट्स लिमिटेड, भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
- पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल.), पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.) भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी।
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।
- पीडीकोर लिमिटेड।

(v) वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में एक सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना जारी की गई।

(vi) मॉनिटरिंग क्रियाविधि के अन्तर्गत राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से, दोनों, परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर मासिक एवं विभागीय स्तर पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है।

(vii) पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सड़क विकास नीति, 2013; राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004; राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014; भी सहायक रहे हैं।

(viii) राज्य के लिए पीपीपी पॉलिसी के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा पीपीपी भागीदार की खरीद प्रक्रिया पर विशेष जोर देते हुए राज्य के लिए एक व्यापक पीपीपी पॉलिसी तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सीएमआरईटीएसी ड्राफ्ट पीपीपी पॉलिसी और अनुसंधान अध्ययन के साथ जुड़े मुद्दों को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।

संजीव प्रकाशन

(ix) राज्य की **पीपीपी परियोजनाओं** की स्थिति के अन्तर्गत राज्य में **सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत अवसंरचना, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्रों** में उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज्य की पीपीपी परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रवार संचालित, के अन्तर्गत (सड़कें, शहरी आधारभूत ढाँचा, ऊर्जा, जलापूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक, अन्य) **31 दिसम्बर, 2021** तक **₹16796.11 करोड़** के निवेश वाली **187** परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, **28 परियोजनाएं** जिनकी लागत **₹2332.45 करोड़** है, के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य हो रहा है और ₹12761.56 करोड़ की लागत की अन्य **48 परियोजनाएं** प्रक्रियाधीन अथवा पाइपलाइन में है।

12. सतत् विकास गोल्स

- सतत् विकास गोल्स गरीबी को समाप्त करने, **पृथ्वी ग्रह (Planet) की रक्षा** करने, शांति लाने और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर और सम्भावनाओं में सुधार करने के लिए सार्वभौमिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करता है।
- सतत् विकास गोल्स सार्वभौमिक, अन्तर्सम्बन्धित एवं अविभाज्य हैं तथा इसलिए सभी को साथ में लाने के लिए व्यापक एवं सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि **''कोई भी पीछे ना रहे''**।
- **सहस्राब्दि विकास गोल्स** की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) महासभा में **25 सितम्बर, 2015** को आयोजित अपने **70वें सत्र** में **'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड : द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट'** शीर्षक वाले फ्रेमवर्क को अंगीकार किया।
- **संयुक्त राष्ट्र** (यू.एन.) के **भारत** सहित सभी सदस्य देशों द्वारा 17 गोल्स को अपनाया गया और इन गोल्स की प्राप्ति हेतु 169 टार्गेट्स वाली **15 वर्षीय योजना 1 जनवरी, 2016 से लागू** की गई (2016–2030)।
- प्रत्येक गोल्स के टार्गेट्स में हुई उपलब्धि को मापने हेतु इन्हें संकेतकों के साथ जोड़ा गया है। वर्तमान में, **वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क** (Global Indicator Framework-GIF) में **247** संकेतक सम्मिलित हैं।
- **सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030** निम्नलिखित 5 पीज् (P_5) पर केन्द्रित एक कार्य योजना है, इसमें–
  - लोग (People), पृथ्वी (Planet), समृद्धि (Prosperity), शांति (Peace) एवं साझेदारी (Partnership) सम्मिलित है।
- **सितम्बर, 2019** में आयोजित **एस.डी.जी. के शिखर सम्मेलन** में विश्व के नेताओं ने सतत् विकास गोल्स को अर्जित करने में **10 वर्ष** (2021–2030) से भी कम समय शेष होने पर इस अवधि को एस.डी.जी. को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले प्रयासों में तेजी लाने वाले **'कार्रवाई दशक (Decade of Action)'** के रूप में घोषित किया है।
- **जुलाई, 2020** में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में द्वितीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review-VNR) प्रस्तुत की गई।
- **राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क** के **वर्जन 3.1** में **295 संकेतक** (Indicator) सम्मिलित किये गये हैं।
- राजस्थान ने राज्य एवं जिला स्तर पर एस.डी.जी. की उपलब्धियों की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए **राज्य संकेतक फ्रेमवर्क** (State Indicator Framework-SIF) और **जिला संकेतक फ्रेमवर्क** (District Indicator Framework-DIF) जारी किया है जिनमें क्रमश: **330** व **251** संकेतकों को सम्मिलित किया गया है।
- एस.डी.जी. को प्राप्त करने के लिये जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु **राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स, 2021** (संस्करण 2.0) को मार्च, 2021 में जारी किया गया है।
- **सतत् विकास गोल्स–**
  - गोल 1 : गरीबी का अन्त
  - गोल 2 : भुखमरी समाप्त करना
  - गोल 3 : आरोग्य एवं कल्याण
  - गोल 4 : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
  - गोल 5 : लैंगिक समानता
  - गोल 6 : शुद्ध जल एवं स्वच्छता
  - गोल 7 : किफायती और स्वच्छ ऊर्जा
  - गोल 8 : सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास
  - गोल 9 : उद्योग, नवाचार और अवसंरचना
  - गोल 10 : असमानताओं में कमी लाना
  - गोल 11 : संधारणीय शहर और समुदाय
  - गोल 12 : उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन
  - गोल 13 : जलवायु कार्रवाई
  - गोल 14 : जल में जीवन
  - गोल 15 : भूमि पर जीवन
  - गोल 16 : शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएँ
  - गोल 17 : गोल्स के लिए साझेदारियाँ
- भारत भी विश्व के साथ-साथ **'कार्रवाई दशक'** के पथ पर आगे बढ़ा है। इस कार्रवाई दशक में **एजेण्डा 2030** को वैश्विक वास्तविकता में बदलने के लिये सामूहिक प्रयास के लिये आह्वान किया गया है।
- **राष्ट्रीय स्तर** पर, **नीति आयोग** द्वारा **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** और अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर (Horizontal and Vertical) नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित करने हेतु एस.डी.जी. के समग्र समन्वय एवं मॉनिटरिंग के लिए लगातार मार्गदर्शन किया जा रहा है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स (SDGs India Index)–

- एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स व डेशबोर्ड डिजाइन एवं विकसित किया गया है, जो एस.डी.जी. मॉनिटरिंग हेतु किये गये प्रयासों में

से एक महत्त्वपूर्ण साधन है। यह इंडेक्स, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गोल्स एवं टार्गेट्स में की गई प्रगति को मापता है।

- एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण **1.0 दिसम्बर, 2018** में जारी किया गया, जिसमे **13** सतत् विकास गोल्स के **62** संकेतकों का उपयोग किया गया है, इसके बाद इंडेक्स का द्वितीय वर्जन 2.0 **दिसम्बर, 2019** में जारी किया गया, जिसमे गोल **17** को छोड़कर **16** गोल्स के **100** संकेतकों का उपयोग किया गया है। तृतीय एवं वर्तमान 3.0 संस्करण **2020–21, 16** गोल्स के कुल **115** संकेतकों के आधार पर बनाया गया है। समग्र सूचकांक की गणना मे **109** संकेतकों का उपयोग किया, एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में, भारत का समग्र स्कोर वर्ष **2018–19** के **60** से बढ़कर वर्ष **2019–20** में 66 हो गया है तथा राजस्थान का स्कोर वर्ष 2019–20 के 57 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 60 हो गया है।

एस.डी.जी. अर्बन इण्डेक्स एण्ड डेशबोर्ड–

- **नीति आयोग** द्वारा हाल ही में एस.डी.जी. के स्थानीयकरण तथा शहरी स्तर पर प्रभावी एस.डी.जी. मॉनिटरिंग के लिए संस्थानों को सुदृढ़ करने हेतु प्रथम बार एस.डी.जी. अर्बन इण्डेक्स एण्ड डेशबोर्ड वर्ष **2021–22** जारी किया गया है। यह शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर एस.डी.जी. की प्रगति की मॉनिटरिंग करने का एक साधन है। इसमें 56 शहरी स्थानीय निकाय एवं **77 संकेतक (Indicator)** शामिल हैं। एस.डी.जी. अर्बन इण्डेक्स में 15 गोल्स में प्रदर्शन के आधार पर 56 शहरी स्थानीय निकायों को रैंक दी गई है। इन 56 शहरी स्थानीय निकायों में 31 निकाय फ्रंट–रनर श्रेणी में तथा 25 निकाय परफॉर्मर श्रेणी में रहे हैं।
- राजस्थान से चयनित तीन शहरी निकाय तथा **जयपुर, कोटा** एवं **जोधपुर** क्रमश: 37, 45 व 51 रैंक के साथ परफॉर्मर श्रेणी में रहे हैं।

सतत् विकास गोल्स के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता–

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष **2030** तक एस.डी.जी. को अर्जित करने वाले प्रयासों को गति प्रदान की गई है। राज्य में आयोजना विभाग सतत् विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। **मुख्य सचिव, राजस्थान** की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है।

राजस्थान में एस.डी.जी. क्रियान्वयन के सम्बन्ध में गतिविधियां जिसमें–

- माह **मार्च** 2021 में **'राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट, वर्ष 2021** (वर्जन 3.0) जारी किया गया। इस स्टेट्स रिपोर्ट में नीति आयोग द्वारा चयनित **153 संकेतकों** सहित कुल 376 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है।
- **मार्च, 2021** में राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (State Indicator Framework-SIF) जारी किया गया है, जिसमें राज्य स्तर पर 17 एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग के लिये 330 संकेतक सम्मिलित हैं।
- **जिला स्तर** पर एस.डी.जी. की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिये अक्टूबर, 2021 में जिला संकेतक फ्रेमवर्क (District Indicator, Framework-DIF) का प्रथम वर्जन जारी किया गया, जिसमें 251 संकेतक सम्मिलित हैं।
- **एस.डी.जी. इंडेक्स** 3.0 में सभी गोल्स में राजस्थान के कमजोर प्रदर्शन वाले संकेतकों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक में सभी संबद्ध विभागों को एस.डी. जी. पर प्रदर्शन में सुधार के लिये विशेष निर्देश प्रदान किये गए।

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स–

- राज्य के एस.डी.जी. इंडेक्स का उद्देश्य **जिलों** के एस.डी.जी. प्रदर्शन का आकलन करना है।
- राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स प्रथम संस्करण, वर्ष **2020** में जारी किया गया, जिसमें 12 गोल्स के 31 संकेतक सम्मिलित थे। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का द्वितीय संस्करण **मार्च, 2021** में जारी किया गया। जिसकी गणना **13** गोल्स के **55** संकेतकों पर की गई है। इसमें डाटा की उपलब्धता न होने के कारण गोल 10, 13, 14 एवं 17 को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स 2.0 में, राजस्थान के **33 जिलों** में **कोटा** सूची में सबसे ऊपर रहा, जबकि सबसे निचले स्थान पर **जैसलमेर** रहा है। 50 से कम समग्र एस.डी.जी. स्कोर के साथ सात जिले–**डूंगरपुर, धौलपुर, जालौर, बारां, प्रतापगढ़, बाड़मेर** एवं **जैसलमेर** जिले **'एस्पीरेंट' (आकांक्षी) श्रेणी** में रहे हैं, जबकि बाकी रहे सभी जिले 65 से कम और 50 से अधिक स्कोर के साथ 'परफॉर्मर' श्रेणी में रहे हैं।

★★★ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ★★★

- **वर्ष 2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार है—**

  (1) ₹ 11.96 लाख करोड़ (2) ₹ 12.10 लाख करोड़
  (3) ₹ 10.28 लाख करोड़ (4) ₹ 9.96 लाख करोड़ (1)

- **राजस्थान राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में स्थिर एवं प्रचलित मूल्यों पर कितने प्रतिशत रहना अनुमानित है?**

  (1) 12.16% एवं 14.10% (2) 25.06% एवं 22.18%
  (3) 16.38% एवं 18.78% (4) 11.04% एवं 18.04%(4)

- **आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्द्धन में क्षेत्रवार योगदान का सही प्रतिशत है—**

  (1) कृषि – 29.10%, उद्योग – 30.90%, सेवाएँ – 40.00%
  (2) कृषि – 28.85%, उद्योग – 26.34% सेवाएँ – 44.81%
  (3) कृषि – 30.85%, उद्योग – 24.34% सेवाएँ – 44.81%
  (4) कृषि – 44.81%, उद्योग – 26.34% सेवाएँ – 28.85% (2)

संजीव प्रकाशन

- **राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय (2021-22, अनुमानित) स्थिर एवं प्रचलित मूल्यों पर क्रमशः है—**
  (1) ₹ 64342 एवं ₹ 122218
  (2) ₹ 78515 एवं ₹ 138419
  (3) ₹ 81231 एवं ₹ 135218
  (4) ₹ 90442 एवं ₹ 126216 (3)
- **राजस्थान में दिसम्बर, 2021 तक कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है—**
  (1) 23321 मेगावाट (2) 24420 मेगावाट
  (3) 26582 मेगावाट (4) 27406 मेगावाट (1)
- **भारत की जी.डी.पी. में राजस्थान राज्य का प्रचलित मूल्यों के आधार पर योगदान (2021-22) है—**
  (1) 6.42% (2) 5.15%
  (3) 7.28% (4)8.16% (2)
- **वर्ष 2021-22 की अवधि में राजस्थान के निर्यात में सर्वाधिक मूल्य के योगदान वाली मद (वस्तु) है—**
  (1) रेडिमेड वस्त्र (2) अभियांत्रिकी वस्तुएँ
  (3) अर्द्धमूल्यवान पत्थर (4) सीमेंट (2)
- **देश के कुल वार्षिक पेट्रोलियम (खनिज तेल) उत्पादन में राजस्थान का योगदान (2021-22) है—**
  (1) 26% (2) 28%
  (3) 20% (4) 18% (3)
- **कैलेण्डर वर्ष-2021 में कुल कितने पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया?**
  (1) 190.98 लाख (2) 202.14 लाख
  (3) 228.26 लाख (4) 220.24 लाख (4)
- **राजस्थान में सतत् विकास गोल्स (S.D.G.) के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है—**
  (1) वित्त (2) आयोजना
  (3) कारखाना (4) श्रम (2)

❑❑❑

संजीव प्रकाशन